भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/05/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः16-04-2024

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -05/2023

प्रारंभिक जांच परिणाम

विषय: चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर)" के आयातों से संबंधित पाटन रोधी जांच।

अनुक्रमणिका

क	मामले की पृष्ठभूमि	
ख	प्रक्रिया	
ग	विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु	
ग.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ग.2	घरेलू उद्योग के विचार	
ग.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
घ	घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं आधार	
घ.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
घ.2	घरेलू उद्योग के विचार	
घ.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
ड.	गोपनीयता	
ड..1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ड..2	घरेलू उद्योग का विचार	
ड..3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
च	विविध अनुरोध	
च.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	

च.2	घरेलू उद्योग के विचार	
च.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
छ	सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन	
छ.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
छ.2	घरेलू उद्योग का विचार	
छ.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
छ.3.1	सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण	
छ.3.2	पाटन मार्जिन	
ज	क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन	
ज.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
ज.2	घरेलू उद्योग के विचार	
ज.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
ज.3.1	क्षति का संचयी आकलन	
ज.3.2	पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव	
ज.3.3	पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव	
ज.3.4	घरेलू उद्योग का आर्थिक मापदंड	
ज.3.5	क्षति का समग्र आकलन	
ज.3.6	गैर आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध	
ज.3.7	कारणात्मक संबंध के बारे में निष्कर्ष	
झ	भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे	
झ.1	अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार	
झ.2	घरेलू उद्योग के विचार	
झ.3	प्राधिकारी द्वारा जांच	
ञ.	क्षति मार्जिन का परिमाण	
ट	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	
ठ	आगे की प्रक्रिया	

क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

1. जबकि रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "आरएसईपीएल" कहा गया है) ने रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "आईआईआर" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरूआत करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और पाटन रोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

2. और जबकि आवेदक द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के इसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटन रोधी शुल्क की राशि, यदि उसे लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, का निर्धारण करने के लिए पाटन रोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 6/05/2023-डीजीटीआर के माध्यम से आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. नीचे वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच के संबंध में किया गया है:
   क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने की कार्रवाई करने के पूर्व वर्तमान पटनरोधी आवेदन प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
   ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटन रोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, प्रकाशित दिनांक 30 जून 2023 की आम सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा में लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।

घ. प्राधिकारी ने पाटन रोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा भारत में उनके दूतावासें के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति जहां कहीं भी अनुरोध किया गया वहां अन्य हितबद्ध पक्षकरों को उपलब्ध कराई गई थी ।

ड.. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4)के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एक निर्यातक प्रश्नालवली भेजी:

i. अर्लान्क्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
ii. चीन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन
iii. एक्सॉन मोबाइल कॉर्पोरेशन
iv. हंट्समैन इंटरनेशनल एलएलसी.
v. जापान ब्यूटाइल कंपनी लिमिटेड
vi. ल्योंडेल बेसेल इंडस्ट्रीज होल्डिंग्स बी.वी
vii. टिमको रबर
viii पीजेएससी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम
ix. एसएबीआईसी
x. टीपीसी ग्रुप
xi. झेजियान सेनवे न्यू सिंथेटिक मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड

च. भारत मं संबद्ध देशों के दूतावासों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय-सीमा में प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

छ. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है:

i. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")
ii. एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम (ईएमपीसी)
iii. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशन कंपनी (“ईएमपीएससी”)
iv. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड

v. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")
vi. एआरएलएएनएक्सईओ सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
vii. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
viii. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबर होल्डिंग
ix. सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच
x. ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ

ज. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के आयातक की प्रश्नावली भेजी:

i. रबरकिंग टायर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ii. एल्फा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड
iii. कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
iv. चेलना इंक
v. राम चरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
vi. बालाजी एंटरप्राइजेज
vii. कर्नाटक केमिकल इंडस्ट्रीज
viii. गणपती जनरल ट्रेडिंग एलएलपी
ix. देव रबर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
x. ब्राज़ा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड.
xi. पिंकसिटी रबर एंड केमिकल्स
xii. अक्स पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड.
xiii. एडवेन टायर ट्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
xiv. पैरागॉन वायल कैप्स प्राइवेट लिमिटेड
xv. यूडी फार्मा रबर प्रोडक्ट
xvi. रविंदर कुमार विजय कुमार
xvii. सनराईज इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन
xviii. स्वस्तिक सेल्स एजेंसी
xix. एक्सॉन मोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xx. सिंक माइक्रोन केम प्राइवेट लिमिटेड
xxi. केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड.
xxii. रमन एंटरप्राइजेज
xxiii. एस्ट्रॉन पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
xxiv. कोहिनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxv. अंबिका बॉयलर और फैब्रिकेटर

xxvi. पीआरएस टायर्स लिमिटेड
xxvii. सपल रबर केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
xxviii. हिंदुस्तान साइकिल एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड.
xxix. सील फॉर लाइफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xxx. संगी
xxxi. जॉनसन रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxxii. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxxiii. विस्टा बिजनेस वेंचर्स एलएलपी
xxxiv. बजाज रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
xxxv. सोनाटा रबर प्राइवेट लिमिटेड
xxxvi. सन एक्जिम
xxxvii. साहिल एंटरप्राइजेज
xxxviii. मिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxxix. बी. बी. एम. एलमपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
xl. मैजेस्टिक इंटरनेशनल
xli. एनाबॉन्ड लिमिटेड
xlii. पिक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड
xliii. हेंकेल आनंद इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xliv. गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड
xlv. जयम इंडस्ट्रीज
xlvi. वी रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xlvii. एल्गी रबर कंपनी लिमिटेड
xlviii. मैक्सिस रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xlix. बिस पॉलिमर्स लिमिटेड
l. स्पेसीफिक वेंटिल फैब्रिक
li. पर्ल पैच
lii. इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसियर
liii. आर्मासेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
liv. दीपक ओवरसीज
lv. आर.के. पॉलिमर
lvi. साक्षी लैंपेक्स
lvii. मैक्सवेल पॉलिमर एलएलपी
lviii. हार्टेक्स रबर प्राइवेट लिमिटेड
lix. रबर इंडिया

lx. श्री कृष्ण रबर केमिकल
lxi. सुरेंद्र इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड
lxii. ठकर दास एंड कंपनी
lxiii. थॉमसन रबर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxiv. जमनादास इंडस्ट्रीज
lxv. मिडास ट्रेड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
lxvi. पॉलीगोल्ड प्रीक्योर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड.
lxvii. राजशिला सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
lxviii. रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड.
lxix. बी. के. रबर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
lxx. एलाइड जे बी फ्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड
lxxi. स्पीडवेज रबर कंपनी
lxxii. केमिकलर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
lxxiii. चेरी इंटरनेशनल
lxxiv. के.एल. ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
lxxv. क्लासिक ऑटो ट्यूब्स लिमिटेड
lxxvi. चौधरी रबर एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड.
lxxvii. मेट्रो टायर्स लिमिटेड
lxxviii. मिडास ब्यूटाइल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
lxxix. फ्लेक्सिलिस प्राइवेट लिमिटेड
lxxx. जेनिथ इंडस्ट्रीयल रबर प्रोड्क्ट्स प्राईवेट
lxxxi. योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
lxxxii. सिएट स्पेशलिटी टायर्स लिमिटेड
lxxxiii. जय आर्शीवाद ट्रेडिंग कंपनी
lxxxiv. तुलसीराम हनुमानबैग्स गिलाडा
lxxxv. जैस्मिनो पॉलिमरटेक प्राइवेट लिमिटेड.
lxxxvi. बी.पी. केमिकल्स
lxxxvii. अभि रबर एंड केमिकल्स
lxxxviii. सागर रबर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.
lxxxix. अग्रवाल रबर लिमिटेड
xc. ऋग्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xci. टोयोटा त्सुशो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
xcii. एमआरएफ लिमिटेड
xciii. साक्षी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड

xciv. एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड

xcv. भारत रबर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

xcvi. क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

xcvii. अपोलो टायर्स लिमिटेड.

xcviii. गुडइयर साउथ एशिया टायर्स प्राइवेट लिमिटेड.

xcix. बी पी केमिकल्स

c. ट्राइटन वाल्व्स लिमिटेड

ci. मैसूर पॉलिमर एंड रबर प्रोडक्ट्स

cii. कॉन्टिनेंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ciii. जेएमएफ सिंथेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

civ. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड

cv. जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

cvi. एल्मर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

cvii. ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cviii. कोरोशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

cix. सत्यम रबर इंडस्ट्रीज

cx. डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड.

cxi. हिंद इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड

cxii. डी डेकोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड.

cxiii. सिएट लिमिटेड

cxiv. ग्लोबस रुबकेम प्राइवेट लिमिटेड

cxv. अक्यूरा वाल्व्स प्राइवेट लिमिटेड

cxvi. निशिगंधा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड

cviii. परफेक्टी वैन मेलले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

cxvii. क्रेन प्रोसेस फ्लो टेक्नोलॉजीज (I)

झ. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना और आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रसायन एवं पेट्रो-रसायन, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को दिनांक 14 जुलाई 2023 को भेजी गई थी। हालांकि प्राधिकारी को कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

ञ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए तथा परिचालन हेतु भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात संघों को आयातक की प्रश्नावली भेजी:

i. फिक्की

ii. सीआईआई

iii. एसोचैम

iv. एफआईईओ

ट. संबद्ध जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देशों के निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर जवाब दिया है:

i. एक्सॉनमोबिल कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("ईएमसीआईपीएल")
ii. एक्सेल रबर प्राइवेट लिमिटेड
iii. क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड.
iv. जेएमएफ परफॉर्मेंश मैटिरियल प्राइवेट लिमिटेड.
v. एडवेन टायर ट्यूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.
vi. ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ('एटीएमए')
vii. सिएट लिमिटेड
viii. एमआरएफ लिमिटेड
ix. जे के टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ठ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकरों की एक सूची सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करने के लिए उनमें से सभी को अनुरोध करने के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी।

ड. क्षति की अवधि तथा जांच की अवधि के लिए भी संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेनदेन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए डीजी प्रणाली को अनुरोध किया गया था। प्राधिकरी ने आयातों की मात्रा का परिकलन तथा लेनदेन की उचित जांच के बाद अपेक्षित विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया है।

ढ. सामान्य तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने तथा उनकी बिक्री करने की लागत एवं उत्पादन की इष्टतम लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) यह सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ण. वर्तमान जांच के उददेश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति के विश्लेषण के संदर्भ में पद्धतियों की जांच में 2019-20, 2020-21, 2021-22 की अवधियां और जांच की अवधि शामिल थी।

त. हितबद्ध पक्षकरों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्रधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकर किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई

सूचना मानी गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

थ. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकरों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों/टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया है।

द. प्राधिकारी ने बैठक आयोजित की जहां हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

ध. प्राधिकरी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस चरण तक उपलब्ध कराई गई सूचना और दिए गए सभी तर्कों को उस सीमा तक माना है जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य दिया गया था और उन्हे वर्तमान जांच से संगत माना है। प्राधिकारी आगे प्रारंभिक जांच परिणाम के पश्चात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य संबंधी दस्तावेजों की जांच करेंगे जो जांच परिणाम के समय निष्कर्षों के लिए आधार बनेगा।

न. इस सूचना में '***' किसी हितबद्ध पक्षकरों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मान गई सूचना का द्योतक है।

प. संबद्ध जांच के लिए प्रधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 80.79 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

"वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ ('आईआईआर") है जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों के इनर ट्यूब और अन्य उच्च दबाव वाले ट्यूबों के विनिर्माण में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। आईआईआर के अनुप्रयोगों में टयूब और टायर इनर लाइनर शामिल हैं जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसे डायाफ्रेम, गेस्केट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओ-रिंग, सील, वेदर स्ट्रिपिंग और बॉटल के ढक्कनों में भी प्रयोग किया जाता है।

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 में टैरिफ कोड 400231 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. अन्य हितबद्ध पक्षकरों के विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अनुरोध निम्नानुसार हैं:

   i. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र व्यापक है और इसमें कुछ विशिष्ट ग्रेड शामिल हैं जिनका उत्पादन अथवा बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है और उन्हें उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।

   ii. विचारधीन उत्पाद में दो प्रमुख विनिर्देश जो अलग-अलग तकनीकी गुण उत्पन्न करते हैं जिसके फलस्वरूप अलग-अलग अंतिम उपयोग किए जाते हैं, "मुनी विस्कोसिटी"; और "अनसेचुरेशन लेवल" हैं। जबकि घरेलू उद्योग और ईएमपीएससी द्वारा उत्पादित नियमित ग्रेड अत्यधिक मुनी विस्कोसिटी और मध्यम अनसेचुरेशन स्तर वाले होते हैं, इएमपीएससी द्वारा निर्मित आईआईआर के विशिष्ट ग्रेडों में इन विनिर्देशों के अलग-अलग संयोजन होते हैं प्राधिकारी को इस उत्पाद के कार्यक्षेत्र से कम अनसेचुरेशन मात्रा <=1.35 एमओएल% वाले आईआईआर और उच्च अनसेचुरेशन मात्रा >=2.00 एमओएल% वाले आईआईआ को अवश्य बाहर करना चाहिए।

   iii. नियमित ग्रेडों की तुलना में विशिष्ट ग्रेडों की तुलना में मुनी विस्कोसिटी और अनुसेचुरेशन में अंतरों के फलस्वरूप रसायनिक संरचना, आणविक संरचना और तकनीकी विनिर्देशों में अंतर होता है जिसका आशय यह है कि विशिष्ट और नियमित ग्रेड तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसके अलावा, इन उत्पादों के अलग-अलग अनुप्रयोग और अंतिम प्रयोग होते हैं।

   iv. यदि प्राधिकारी उत्पाद के कार्यक्षेत्र से विशिष्ट ग्रेडों को बाहर नहीं करते हैं तब इन्हें विशिष्ट ग्रेडों के लिए अलग पीसीएन अधिसूचित करना ही चाहिए क्योंकि ऐसे ग्रेडों को अलग-अलग कच्चे माल संरचना, तकनकी गुणों और अंतिम उपयोगों के कारण उच्चतर कीमतें मिलती हैं।

   v. नियमित ग्रेड और विशिष्ट ग्रेड के बीच एक उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित पीसीएन का प्रस्ताव किया जाता है-

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	मान	संकेतन
1.	मुनी विस्कोसिटी (एमयू)	उच्च (51 +/- 5) निम्न (31 +/- 5)	एच एल
2.	अनसेचुरेशन मात्रा (एमओएल%)	उच्च (2.00-2.60) मध्यम (1.50-1.90) निम्न (0.85-1.35)	एच एल एल

vi. घरेलू उद्योग भौतिक और रसायनिक विशेषताओं तथा अंतिम उपयोग में अंतरों के कारण अर्लान्क्सियो द्वारा उत्पादित खाद्य श्रेणी आईआईआर के समान वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। खाद्य श्रेणी आईआईआर खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए (चबाने वाले गम्स के उत्पादन के लिए) कठोर सरकारी और उद्योग की आवश्यताओं का पालन करता है तथा इसके अलग-अलग तकनीकी विनिर्देश होते हैं।

vii. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि एचआईआईआर विचाराधीन उत्पादन के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं है।

viii. वर्तमान मामले में पीसीएन पद्धति बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग.2 घरेलू उद्योग का विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसारहैं:

i. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया है कि इसने कम मुनी विस्कोसिटी का उत्पादन और बिक्री किया है। इसके अलावा "कम" और "अधिक" अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआर घरेलू उद्योग के उत्पाद के प्रोफाइल में पहले से ही हैं।

ii. कम मुनी विस्कोसिटी और अधिक मुनी विस्कोसिटी तथा <=1.35 एमओएल% से कम अनसेचुरेशन मात्रा और >=2.00 एमओएल% मात्रा वाले उच्च अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर इस देश में बहुत कम हैं अर्थात यह 0.1% से कम है।

iii. खाद्य ग्रेड आईआईआर का प्रयोग सामग्री और दवाई संबंधी मदों को ढकने अथवा उसकी पैकिंग करने में किया जाता है तथा यह घरेलू उद्योग के उत्पाद प्रोफाइल में है

iv. खाद्य श्रेणी आईआईआर का उपयोग चबाने वाली गम बनाने में भी किया जाता है जो वर्तमान उत्पादन प्रोफाइल में नहीं है लेकिन घरेलू उद्योग का उद्देश्य इसकी बिक्री शुरू करना है। खाद्य मदों में उपयोग किए जाने वाले खाद्य ग्रेड आईआईआर की मांग केवल 50-60 एमटी है।

v. चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में नया है अत: यह बाजार खंडों पर केन्द्रित करने के बजाय बाजार में अपने आप को सर्वप्रथम स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

vi. केवल विनिर्देश में अंतर होने पर पीसीएन की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया है कि अलग-अलग विनिर्देशों की लागत में बहुत अधिक अंतर है। उपभोक्ता संघ ने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि पीसीएन की कोई आवश्यकता नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकरों को विवचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और पीसीएन के संबंध में अपने अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिया था। इसके अलावा हितबद्ध पक्षकारों से यह कहा गया था कि वे अपने प्रस्तावित पीसीएन पद्धति में दिए गए सुझाव के अनुसार अलग-अलग मापदंडों और मानों के लिए लागत और बिक्री कीमत में अंतरों का विवरण उपलब्ध कराएं।

8. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी"), अर्लान्क्सियो सिंगापुर पीटीई लिमिटेड और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा टिप्पणियां प्रस्तुत की गई थी। घरेलू उद्योग से यह भी गया था कि वे इन उत्पदाकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तावित पीसीएन में लागत/कीमत संबंधी अंतरों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

9. विशिष्ट ग्रेड के संबंध में, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाया कि कम मुनी विस्कोसिटी का उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। इसके अलावा, कम <=1.35 एमओएल% से कम अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर और >=2.00 एमओएल% से अधिक अनसेचुरेशन मात्रा आरएसईपीएल द्वारा मौजूदा मशीनरी और प्रौद्योगिकी के साथ उत्पादित किया जा सकता है, यद्यपि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इन विशिष्ट ग्रेडों को विचाराधीन उत्पादन के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम अनसेचुरेशन मात्रा वाले आईआईआर का कोई आयात नहीं किया गया है। इसके अलावा, कम मुनी विस्कोसिटी लेकिन अधिक अनसेचुरेशन वाले 300 कि.ग्रा. की मामूली मात्रा में ही आईआईआर का आयात किया गया है। यह अच्छी तरह से निर्धारित है कि अपवर्जन का प्रश्न तभी उठता है जब इस उत्पाद प्रकार का आयात होता हो तथा घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति नहीं की है। हालांकि वर्तमान मामले में, उन उत्पाद प्रकारों का कोई आयात नहीं होता है जिनके लिए अपवर्जन की मांग की गई है और इसमें मामूली मात्रा में एक बार लेनदेन किया गया है। और इसलिए, घरेलू उद्योग ने भी इसका उत्पादन और आपूर्ति नहीं की है। कम अथवा अधिक

मुनी विसकोसिटी और अनसेचुरेशन मात्रा वाले उत्पाद का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने कम मुनी विस्कोसिटी वाली वस्तुओं का उत्पादन दर्शाने के लिए साक्ष्य उपलब्ध कराया है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने विनिर्दिष्ट सीट भी संलग्न की है जो यह दर्शाता है कि अलग-अलग अनसेचुरेशन मात्रा वाला उत्पाद उन वस्तुओं के वर्गीकरण के अंतगत आता है जिसका यह उत्पादन कर सकता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि वर्तमान मामले एक नया उद्योग शामिल है जिसने नए उत्पाद के लिए सुविधा स्थापित की है तथा इस उत्पाद के पाटित आयातों के कारण बाजार पर कब्जा करने में कठिनाई का सामना यह कर रहा है। इसके अलावा, उत्पाद प्रकारों का आयात भारत में नहीं किया जा रहा है। इसे देखते हुए, यह विचार करना उपयुक्त नहीं है कि क्या उत्पाद वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा गया है, लेकिन क्या घरेलू उद्योग में ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता है। तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाता है कि उत्पाद के दायरे से विशेष ग्रेड को बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

10. खाद्य श्रेणी आईआईआर के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि खाद्य श्रेणी आईआईआर के दो ग्रेड हैं। एक का उपयोग खाद्य अथवा औषधीय मदों की पैकिंग में किया जाता है और दूसरे उत्पाद का उपयोग चबाने वाले गम जैसे खाद्य मदों का निर्माण करने के लिए एक घटक के रूप में किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि रैपिंग अथवा पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर की पेशकश घरेलू उद्याग द्वारा बिक्री के लिए की जा रही है, चबाने वाले गम में एक घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर नहीं है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसका उद्देश्य इस उत्पाद का उत्पादन और बिक्री शुरू करना है, वर्तमान में यह इसके उत्पाद प्रोफाइल में नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग ने खाद्य मदों का निर्माण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेणी आईआईआर का उत्पादन करने की किसी क्षमता में नहीं दर्शायी है अत: प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के कायक्षेत्र से चबाने वाले गम के उत्पादन में एक घटक के रूप में उपयोग किए जाने वाले खाद्य श्रेण आईआईआर को बाहर रखा है।

11. तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र अनंतिम रूप से निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

"3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) है जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों के इनर ट्यूब और अन्य उच्च दबाव ट्यूबों के विनिर्माण में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है । आईआईआर के अनुप्रयोगों में

टयूब और टायर इनर लाइनर शामिल हैं जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है । इसे डायाफ्रेम, गेस्केट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओ-रिंग, सील, वेदर स्ट्रिपिंग और बॉटल के ढक्कनों में भी प्रयोग किया जाता है।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 में टैरिफ कोड 4002 31 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नही है।"

12. इसके अलावा हितबद्ध पक्षकरों द्वारा दी गई सूचना और की गई चर्चा के आधार पर, प्राधिकारी ने उचित तुलना के लिए निम्नलिखित पीसीएन पद्धति को अपनाया है:

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	मान	संकेतन
1.	मुनी विस्कोसिटी (एमयू)	उच्च (51 +/- 5) निम्न (31 +/- 5)	एच एल
2.	अनसेचुरेशन मात्रा (एमओएल%)	उच्च (2.00 - 2.60) मध्य (1.36 - 1.99) निम्न (0.85 - 1.35)	एच एल एल

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र एवं आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और अधार के संबंध अनुरोध निम्नानुसार है:

i. सिबर याचिकाकर्ता के एओए के अनुसार आरएसईपीएल के कुछ प्रमुख प्रबंधन और नीतिगत निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। आरएसईपीएल के बोर्ड में सिबर द्वारा दो निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। आरक्षित मामलों तथा संयुक्त अनुमोदन व्यापारों के संबंध में निर्णय सिबर द्वारा नियुक्त निदेशकों में से कम से कम एक निदेशक के अनुमोदन तथा सिबर द्वारा अर्हक शेयरों (25.1%) को धारण करते समय तक सिबर के शेयरहोल्डरों में से एक शेरयहोल्डर के अधिकृत प्रतिनिधियों में से एक के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है।

ii. उपर्युक्त का एक मात्र अपवाद यह है कि जब बोर्ड की बैठक प्रत्येक शेयरहोल्डर समूह के कम से कम एक निदेशक के अनुपस्थित रहने के कारण तीन बार

स्थगित किया गया है। हालांकि ऐसी स्थिति असाधारण है और इसके होने की संभावना नहीं है।

iii. संबंधित पक्षकार के लेनदेन के मामले में, शेयरहोल्डर समूह जिसके साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन का प्रस्ताव किया जाता है के निदेशक इस चर्चा का हिस्सा नहीं होंगे और वे अन्य शेयरहोल्डर समूह के मत के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रकार, आरआईएल के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन के मामले में, सिबर को बोर्ड की बैठक में अधिकांश मतदान अधिकार प्राप्त होता है।

iv. जब सिबर के पास अर्हक शेयर नहीं होते हैं लेकिन वह सामूहिक रूप से 15.1 प्रतिशत से अधिक शेयरों को धारित करता है तब संबंधित पक्षकार का लेनदेन सिबर द्वारा नियुक्त निदेशकों में से कम से कम एक निदेशक के मत के बिना अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।

v. संयुक्त उद्यम का वास्तव रूप से नियंत्रण आरआईएल और सिबर दोनों के पास होता है।

vi. आरएसईपीएल की वार्षिक आमसभा तथा असाधारण आमसभा में आरक्षित मामलों से संबंधित लेनदेन सिबर द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक तथा मुख्य प्रचालन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ही पारित किया गया है।

vii. सिबर और टाटर-अमेरिकी निवेश तथा कंपनियों के वित्त समूह के बीच विलय के निर्णय में यूरोपीय आयोग ने यह पाया कि यद्यपि आरआईएल के पास आरएसईपीएल के अधिकांश शेयर हैं फिर भी आरआईएल और सिबर दोनों का इस पर संयुक्त नियंत्रण होता है।

viii. आरआईएल और सिबर दोनों ने प्रोद्योगिकी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किया जिसमें आरएसईपीएल सिबर की सिबर की प्रोपराइटरी बुटाइल रबर उत्पादन प्रौद्योगिकी का उपयोग का कर सकता है सिबर आरएसईपीएल के लिए मूलभूत इंजीनियरिंग डिजाइन विकसित करेगा और इस संबंध में कर्मिकों को प्रशिक्षित करेगा। यह सिबर को आरएसईपीएल की नीति और प्रचालन संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने के लिए लिवरेज प्रदान करता है।

ix. आरआईएल, आरएसईपीएल और सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच के बीच एक पूर्व विपणन करार है। आरएसईपीएल सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच के माध्यम से यूरोप और अन्य क्षेत्रों को निर्यात करता है। सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच भारत को एनकेएनएच द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पद का निर्यात करता है। एनकेएनएचएनकेएनएच और सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच दोनों सिबर के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। इस प्रकार आरएसईपीएल को इस जांच में घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

x. चूंकि सिबर एनकेएनएच सिबर इंटरनेशनल जीएमबीएच दानों को नियंत्रित करता है, इसे इस जाचं के प्रयोजन से एक मात्र प्रतिष्ठान के रूप में माना जाना चाहिए। यह दावा कि रूस के उत्पादक द्वारा कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया जाता है, को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

xi. याचिकाकर्ता का यह दावा कि क्षति संबंधी कोई भी विश्लेषण तब तक संभव नहीं होगा यदि इसे एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में नहीं माना जाता है, प्राधिकारी को एक अपात्र घरेलू उद्योग के रूप में याचिकाकर्ता को घोषित करने से नहीं रोक सकता है।

घ.2 घरेलू उद्योग का विचार

14. घरेलू का उद्योग के कार्यक्षेत्र तथा आधार के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।

ii. आरएसईपीएल की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी, स्विट्ज़रलैंड के एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी।

iii. सिबर होल्डिंग का भी विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक सिबर तोगलियाटी, में था और इसका विचाराधीन उत्पादन के एक रूसी उत्पादक/निर्यातक पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम (एनकेएनएच) में स्टेक है।

iv. यद्यपि एनकेएनएच संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगा हुआ है, इसने सीधे तौर पर भारत को इसका निर्यात नहीं किया है।

v. सिबर स्विट्ज़रलैंड का आरएसईपीएल में शेयरहोल्डिंग हैं लेकिन यह आरएसईपीएल के प्रचालनों पर कानूनी रूप से अथवा प्रचालन के तौर पर संयम बरतने अथवा निदेश देने की स्थिति में नहीं है।

vi. रूस के उत्पादक एनकेएनएच और आरएसईपीएल एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखते हैं और वे एक तीसरे पक्षकार के साझा नियंत्रण में नहीं हैं और वे संयुक्त रूप से एक तीसरे पक्षकार को नियंत्रित नहीं करते हैं

vii. भारतीय बाजार में आरएसईपीएल की मौजूदगी के बावजूद, एनकेएनएच निरंतर रूप से व्यापारियों के माध्यम से भारत को निर्यात करता रहा है।

viii. एक्सॉनमोबिल ने इस जांच को विपथित करने के लिए अपने एक प्रयास में जानबूझ कर और गलत तरीके से आंशिक रूप से दस्तावेज को उधृत किया है। कंपनी अधिनियम और पाटन रोधी कानून का उद्देश्य और लक्ष्य अलग- अलग है तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध पर पाटन रोधी जांच में विश्वास नहीं

किया जा सकता है। एक अलग कानून में दी गई परिभाषा पाटन रोधी जांचों पर लागू नहीं हो सकती है। अनेक मामलों में, प्राधिकारी ने यह माना है कि अलग-अलग कानूनों के अंतर्गत उत्पादन का अभिप्राय अलग-अलग है क्योंकि उनके अलग-अलग उद्देश्य है।

ix. जबकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कार्यक्षेत्र अपेक्षाकृत बडा है और इसका संबंध उत्पादन के शुरू होने तथा उसके बंद होने के पूर्व कंपनी के प्रचालनों से है, पाटन रोधी कानून और नियमों का संबंध केवल जांच की अवधि से है। इस संबंध को जांच की अवधि और न कि जांच की अवधि के पूर्व अथवा जाचं की अवधि के बाद के दौरान देखी जाती है। इस प्रकार, नियंत्रण का अभिप्राय चाहे वह विधिक रूप से हो अथवा वास्तविक रूप से हो, की जांच केवल जांच की अवधि के संदर्भ में ही की जानी चाहिए।

x. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से संबंधित पक्षकार को बाहर किए जाने के पीछे उद्देश्य उत्पादकों को बाहर करना है जिन्हें विदेशी उत्पादकों के साथ अपने संबंधों से लाभ प्राप्त हो रहा है। कानूनी अथवा प्रचालन संबंधी नियंत्रण के मामले में, घरेलू उत्पादक के बारे में यह कहा जाता है कि वे विदेशी उत्पादक/निर्यातक से संबंधित हैं। यदि दो पक्षकार संबंधित भी हैं तब केवल संबद्ध घरेलू उत्पादक को अपात्र के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है।

xi. इस तथ्य की भी जाचं करने की आश्यकता है कि क्या संबंधित पक्षकारों का व्यवहार असंबंधित पक्षकारों से अलग है, यदि उन पर पाटन लगाया जाता है, अधिक पाटन लगाया जाता है, पाटन से लाभ प्रदान किया जाता है अथवा उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है तब क्षति स्वयं के कारण हुई है, संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए आयातों का प्रभाव, क्या संबंधित पक्षकार ने जांच की अवधि के दौरान भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया था, क्या संबंधित निर्यातक की मात्रा असंबंधित घरेलू उत्पादकों के बाजार को प्रतिस्थापित कर रहा है, क्या इस संबंध से इस बात की संभावना है कि समान वस्तु के उत्पादन, कीमत निर्धारण अथवा लागत, शेयरधारकों द्वारा सांविधिक अथवा संगठनात्मक प्रतिबंधों के संबंध में निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता है, क्या संबंधित पक्षकार स्वतंत्र रूप से अथवा इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं अथवा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और क्या उनका पाटन रोधी जांच में परस्पर विरोध ही हित है।

xii. वर्तमान जांच में जबकि आरएसईपीएल को पाटन रोधी शुल्क से लाभ प्राप्त होगा, सिबर पाटन रोधी शुल्क के अध्यधीन होगा। संबद्ध देश में कथित संबंधित पक्षकरों के होने के बावजूद आरएसईपीएल के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है, दोनों पक्षकार एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनका परस्पर विरोधी हित है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आरएसईपीएल ने पाटन में भाग लिया है अथवा क्षति

उसके स्वयं के कारण हुई है। इस प्रकार, इसे घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

xiii. आरआईएल के पास आरएसईपीएल में अधिकांश शेयर और निदेशक हैं, बोर्ड के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार आरआईएल के पास है और इस प्रकार सभी निर्णय जहां अधिकांश मतदान अपेक्षित हो, आरआईएल के हैं।

xiv. आरक्षित मामलों में आरएसईपीएल का दैनिक व्यापार अथवा विपणन अथवा कीमत निर्धारण से संबंधित निर्णय शामिल नहीं हे जो आरएसईपीएल को स्वयं के कारण हुई क्षति उठने की अनुमति दे सकता था। सिबर एकतरफा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। यदि आरआईएल द्वारा इसका समर्थन न किया जाए। इस प्रकार सिबर आरएसईपीएल पर नियंत्रण रखने अथवा निदेश देने की स्थिति में नहीं है।

xv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत एओए याचिकाकर्ता पर सिबर का नियंत्रण स्थापित नहीं करता है

xvi. वार्षिक आम सभा तथा असाधारण आम सभा की सूचना और ट्रांस्क्रिप्ट जिन पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किया गया है नियंत्रण को नहीं दर्शाते हैं और यह वर्तमान जाचं से संबंधित नहीं है क्योंकि यह केवल पूंजी बढ़ाने से संबंधित है।

xvii. अन्य हिबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत यूरोपीय कमीशन ने यह माना कि आरआईएल का आरएसईपीएल पर नियंत्रण है। इसके अलावा, जिस दस्तावेज पर विश्वास किया गया है वह विलय और अधिग्रहण से संबंधति है और न कि पाटन रोधी जांच से संबंधित है। संबंधित पक्षकारों का अभिप्राय और कार्यक्षेत्र इन दोनों के अंतर्गत अलग-अलग है।

xviii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिस मीडिया रिलीज पर विश्वास किया गया है वह प्रौद्योयोगिकी अधिग्रहण और सिबर से प्रशिक्षण को दर्शाता है। यह तथ्य उत्पादन को शूरू करने के पूर्व से संबंधित है और वर्तमान पाटन रोधी जांच से संगत नहीं है। यह याचिकाकर्ता के उत्पादन, बिक्रियों, लागतों अथवा कीमतों पर नियंत्रण नहीं दर्शाता है। अनेक मामलों में प्रौद्योगिकी की आपूर्ति अन्य देशों के अन्य उत्पादकों से की गई है।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, एनकेएनएच एनकेएनएच, टीएआईएफ पर सिबर का नियंत्रण अथवा एनकेएचनएच पर टीएआईएफ का नियंत्रण वर्तमान जांच से संगत नहीं है।

xx. आरक्षित मामले का कोई शर्त उत्पादन, खरीद, बिक्री, कीमत निर्धारण अथवा किसी अन्य कारक जो पाटन रोधी जांच से संगत हो, के संबंध में याचिकाकर्ता के प्रचालनों पर सिबर के नियंत्रण को नहीं दर्शाता है।

xxi. आरक्षित मामलों में कुछ शर्तें, जिन पर एक्सान द्वारा विश्वास किया गया है, इस संयंत्र के वाणिज्यिक प्रचालनों के पूर्व के समय से संबंधित है और व्यापार स्थापना वित्त पोषण चरण अब लागू नहीं है क्योंकि यह संयंत्र पहले ही चालू हो चुका है।

xxii. आरक्षित मामलें में अन्य शर्तों का संबंध पाटन रोधी जांच से नहीं है और न ही ये जांच की अवधि में प्रचालनों से संबंधित हैं क्योंकि वे विस्तार योजनाओं, विपणन के सामन्य सिद्धातों से संबंधित हैं जो न्यूनतम नेटबैक पर उत्पादन की बिक्री करने, बंद करने, एमओए अथवा अन्य दस्तावेंजों को बदलने, अनधिकृत पूंजी में परिवर्तन, सहायक कंपनी का सृजन, व्यापार योजना में संशोधन का अनुमोदन, मॉर्गेज का सृजन अथवा शुल्क, ऋण अथवा गारंटी प्राप्त करना अथवा उपलब्ध कराना, इंजीनियरिंग सेवाओं, निर्माण, उपकरण की खरीद अथवा अधिग्रहण अथवा अचल संपत्ति की बिक्री, 1,00,00,000 यूएस डॉलर से प्रतिवर्ष से अधिक व्यय की राशि के साथ संविदा और लेखांकन नीतियों के लिए 19 सामान्य कार्यनीति है।

xxiii. आरआईएल और सिबर के बीच विरोध के मामले में, आरआईएल के पास सिबर को अपने शेयरों की बिक्री आरआईएल को करने का निदेश देने का अधिकार है। उसी प्रकार, सिबर के पास आरआईएल द्वारा इसकी शेयरों की खरीद करने का अधिकार है। इस प्रकार विरोध की स्थिति में, आरआईएल के पास समग्र प्रचानलों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार सिबर विरोध संबंधी स्तर के होने के कारण आरआईएल के निदेशकों द्वारा किसी निर्णय को नहीं रोक सकता है।

xxiv. सिबर और आरएसईपीएल के बीच विपणन पूर्व करार 2019 में समाप्त हो गया है जबकि एनकेएनएच का नियंत्रण सिबर द्वारा 2021 में प्राप्त किया गया था जब इस तरह का करार लागू नहीं था। इस करार का अभिप्राय बीज विपणन का भारत में आयात और न कि विचाराधीन उत्पाद के निर्यात से था। वह सिबर द्वारा किसी नियंत्रण को नहीं दर्शाता है। पाटन रोधी जांच में निर्यात संगत नहीं है क्योंकि निर्यात के लिए कार्यकलापों को अनुबंध II के अनुसार बाहर रखा जाना है।

xxv. संबंधित पक्षकारों के बीच सभी प्रकार के लेनदेन दूर आधार पर है और उसके विधिवत अनुमोदन लेखा परीक्षा समिति और याचिकाकर्ता के बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसी भी मामले में, आरआईएल के लिए यह अपेक्षित है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी संबंधित पक्षकारों के लेनदेन इसके अपने कानूनी और प्रचालन संबंधित दर्जा के कारण दूर आधार पर है।

xxvi. आरएसईपीएल अब पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य प्रचालन अधिकारी से अपेक्षित है कि वे इस निदेश के अंतर्गत तथा निदेशकों के बोर्ड के नियत्रण के

अंतर्गत कार्य करें। केवल यह तथ्य कि सिबर ने ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की है, का आश्य यह नहीं है कि वह व्यक्ति बोर्ड के निर्देशों के विरुद्ध कार्य कर सकता है।

xxvii. एक्सॉनमोबिल ने किसी संबंधित पक्षकार के लेनदेन की पहचान नहीं की है जिसके लिए सिबर की सहमति अथवा कुछ लेनदेन की मोजूदगी जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निर्धारण को प्रभावित करता है, की आवश्यकता होगी।

xxviii. रूस के उत्पादक द्वारा कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है लेकिन असंबंधित निर्यातक द्वारा निर्यात किए गए हैं। निर्यातक उस बाजार का निर्धारण करते हैं जिसमें विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की जाएगी और ऐसे वस्तुओं की कीमत निर्धारित की जाएगी। इस कारण से सिबर के साथ कथित संबंध का वर्तमान जांच में कोई संगतता नहीं है।

xxix. घरेलू उद्योग ने बीज विपणन कार्यकलाप करने के उद्देश्य से उत्पादन को शुरू करने से पूर्व विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है हालांकि घरेलू उद्योरग ने वाणिज्यिक उत्पादन शरु करने के बाद जांच की अवधि के दौरान विचारधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

15. पाटन रोधी नियमावली का नियम 2 (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:-

"(ख) घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है"।

16. यह आवेदन रिलायंस सिबर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरएसईपीएल) द्वारा दायर किया गया है। आरएसईपीएल भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है।

17. नियम 2 (ख) के उद्देश्यों से, उत्पादकों के संबंध में तभी यह माना जाएगा कि वे निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित है यदि, -

"(क) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो; अथवा
(ख) उनमें से दोनों किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होते हों; अथवा
(ग) वे एक साथ इस शर्त के अध्यधीन किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता हो, कि इस तथ्य पर विश्वास करने अथवा संदेह करने के लिए आधार है कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादक असंबंधित उत्पादकों से अलग रूप में व्यवहार करने को बाध्य हों

नोट: इस व्याख्या के उद्देश्य से, एक उत्पादक इस संबंध में यह माना जाएगा कि वह दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण रखता है जब पहला कानूनी रूप से अथवा प्रचालन के तौर पर दूसरे पर नियंत्रण रखने का निर्देश देने की स्थिति में है"।

18. अनुच्छेद 4 में पाटन रोधी करार घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है-

"4.1 इस करार के उददेश्यों से, पारिभाषिक शब्द "घरेलू उद्योग" की व्याख्या समग्र समान उत्पादों अथवा उनमें से उन उत्पादों जिनका उत्पादों का सामूहिक उत्पादन इस बात के सिवाय उन उत्पादों के कुल घरेलू उत्पादन का एक बडा हिस्सा है, के रूप में घरेलू उत्पादकों को संदर्भित करने के रूप में किया जाएगा;

(i) जब उत्पादक उत्पादकों का संबंध निर्यातकों अथवा आयातकों से हो अथवा वे स्वयं कथित रूप से पाटित उत्पाद के आयातक हों, पारिभाषिक शब्द "घरेलू उद्योग" की व्याख्या शेष उत्पादकों को संदर्भित करने के रूप में की जा सकती है;"

19. फुटनोट 11 आगे संबंधित का आश्य निम्नानुसार स्पष्ट करता है:

"11. इस अनुच्छेद का उद्देश्य उत्पादकों के संबंध में तभी यह माना जाएगा कि वे निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित है यदि (क) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे को नियंत्रित करता हो अथवा (ख) उनमें से दोनों किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होते हों; अथवा (ग) वे एक साथ किसी तीसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता हो, बशर्ते कि इस तथ्य पर विश्वास करने अथवा संदेह करने के लिए आधार है कि इस संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादक असंबंधित उत्पादकों से अलग रूप में व्यवहार करने को बाध्य हों। इस अनुच्छेद के उद्देश्य

से, एक उत्पादक इस संबंध में यह माना जाएगा कि वह दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण रखता है जब पहला कानूनी रूप से अथवा प्रचलन के तौर पर दूसरे पर नियंत्रण रखने का निदेश देने की स्थिति में है"

20. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबंधित पक्षकार की परिभाषा का मूलभाव "नियंत्रण", कानूनी अथवा प्रचालनात्मक है, यदि कोई पक्षकार दूसरे को निदेश देने अथवा उस पर नियंत्रण रखने की स्थिति नहीं हो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अन्य पक्षकार के माध्यम से, यह नहीं माना जा सकता है कि दो पक्षकार एक दूसरे से संबंधित हैं। यह नोट किया जाता है कि केवल शेयरहोल्डिंग नियंत्रण रखने के बराबर नहीं है और इस कारण से आरएसईपीएल को पाटन रोधी नियमावली के अभिप्राय से एनकेएनएच से संबंधित करता है। इसके अलावा, यदि दो पक्षकार संबंधित पक्षकार भी है तब केवल संबंध का तथ्य घरेलू उद्योग को आपत्र के रूप में मानने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा साक्ष्य अवश्य होना चाहिए कि संबंधित घरेलू उत्पादक ने इस संबंध के कारण अलग तरीके से कार्य किया है तथा पाटन की कार्य पद्धतियों में भाग लिया है और ऐसा कदम उठाया है जिसके परिणामस्वरूप स्वयं के कारण क्षति हुई होती।

21. वर्तमान मामले में, आरएसईपीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी, स्विट्ज़रलैंड (सिबर स्विट्ज़रलैंड), पीजेएससी सिबर होल्डिंग (सिबर रूस) की एक सहायक कंपनी, के बीच एक सयुक्त उद्यम है। सिबर रूस का भी पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम (एनकेएनएच), जो रूस में विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक में स्टॉक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आरएसईपीएल का प्रमुख रूप से नियंत्रण आरआईएल, द्वारा किया जाता है जिसके पास अधिकांश शेयर हैं जबकि सिबर स्विट्ज़रलैंड का शेयरहेल्डरों और निदेशकों दोनों की वोटिंग शक्तियों के संदर्भ में अधिकांश शेयर है।

22. याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि इसे इस तथ्य के बावजूद नियम 2(ख) के अंतर्गत एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप मं माना जाना चाहिए कि भारत को निर्यात रूस के उत्पादक द्वारा किया गया है और यह याचिकाकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। हालांकि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए याचिकाकर्ता की पात्रता को चुनौती दी है कि याचिकाकर्ता किन आधारों पर पात्र नहीं है कि याचिकाकर्ता कंपनी रूस के उत्पादकों द्वारा या तो सीधे तौर पर अथवा एक तीसरी कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित होता है। अपात्रता की मांग करने का एकमात्र आधार याचिकाकर्ता कंपनी पर संयुक्त उद्यम पर दोनों साझेदारों द्वारा "नियंत्रण" का होना है। प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है।

23. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नयम 2(ख), प्राधिकारी के इस तथ्य की जाचं करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उत्पादक को भारत में इन वस्तुओं को पाटित करने वाले विदेशी निर्यातक के साथ इसके संभावित संबंध अथवा स्वयं याचिकाकर्ता का ऐसे उत्पाद का आयातक होने के कारण अपात्र के रूप में माना जाना चाहिए।

24. वतर्मान मामले के तथ्यों में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता अर्थात आरएसईपीएल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबर इन्वेस्टमेंट एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। संयुक्त उद्यम साझेदार सिबर इन्वेस्टमेंट एजी पीजेएससी सिबर होल्डिंग की एक सहायक कंपनी है जो वर्तमान मामले में रूस के एक सहयोगी उत्पादक पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम, की होल्डिंग कंपनी भी है। इस कारण से पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की जाचं की गई है। यह नोट किया जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम ने पीजेएससी सिबर होल्डिंग वाली कंपनी के स्वामित्व की भी सूचना दी है। रूस के उत्पादक से यह भी अपेक्षित है कि वे उत्पादक से संबद्ध सभी कंपनियों चाहे वह विचाराधीन का उत्पादन और बिक्री में शामिल हो अथवा नहीं तथा चाहे वह रूस में हो अथवा नहीं, के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध कराए। यह नोट किया जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम ने अपनी संबद्ध प्रतिष्ठानों के रूप में निम्नलिखित कंपनियों की सूचना दी है।

    क. ***

    ख. ***

25. यह नोट किया जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम ने याचिकाकर्ता को अपनी और आरआईएल को अपनी संबद्ध कंपनी के रूप में सूचना नहीं दी है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम अपने आपको आरएसईपीएल अथवा आरआईएल से संबधित होने के रूप में नहीं मानता है।

26. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे की भी जांच की गई थी। यह देखा जाता है कि याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि यह रूस के वस्तुओं के निर्यातकों से संबंधित नहीं और न ही यह संबद्ध वस्तुओं के रूस के उत्पादकों से संबंधित है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इस नियामावली के अंतर्गत संबंध को इस उत्पाद के निर्यात के संदर्भ में देखा जाना अपेक्षित है। याचिकाकर्ता ने इन आधारों पर इस संबंध से इनकार किया है कि (क) सिबर अथवा पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम द्वारा कोई प्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया गया है (ख) रिलायंस का शेयरहोल्डरों और निदेशकों के बोर्ड दोनों में अधिकांश वोटिंग अधिकार है (ग) सिबर आरएसईपीएल के दिनप्रतिदनि निर्णयों पर अधिकार नहीं दिखा सकता है (घ) आरएसईपीएल में सिबर द्वारा पाटन में योगदान नहीं

किया है और (ड.) आवेदक के विगत कार्यपद्धति को देखते हुए पात्र घरेलू उद्योग के रूप में माना जाना चाहिए।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2 (ख) के अंतर्गत प्राधिकारी को प्रदत्त विवेकाधिकार का लक्ष्य अथवा उद्देश्य वर्तमान मामले में संगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस प्रावधान का उद्देश्य प्राधिकारी को कुछ परिस्थितियों में अपात्र के रूप में कुछ घरेलू उद्योग को मानने की अनुमति है। एक ऐसी स्थिति है जब घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक से संबंधित हैं। हालांकि, नियम 2 (बी) के स्पष्टीकरण में 'संबंधित' शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें पार्टियों में से एक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे को नियंत्रित करने, या दोनों पक्षों को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित करने या एक साथ तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। आगे प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि केवल संबंध का तथ्य कानून के अंतर्गत इस तरह के घरेलू उत्पादकों को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वप्रथम प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या ऐसा विश्वास करने और संदेह करने के लिए आधार हैं कि संबंध का प्रभाव ऐसा है जिसके करण इस तरह के उत्पादक असंबद्ध उत्पादकों से अलग तरीके से व्यवहार करें। नियम आगे प्रदान करता है कि एक पार्टी को दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने के लिए माना जाएगा जहां पार्टी कानूनी रूप से या परिचालन रूप से बाद में संयम या दिशा का प्रयोग करने की स्थिति में है। दूसरा, प्राधिकारी के पास ऐसी परिस्थितियों में ऐसे घरेलू उत्पादकों को अपात्र के रूप में मानने का विवेकाधिकार है। किसी भी मामले में नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से ऐसे घरेलू उत्पादक को स्वत: बाहर नहीं किया जाता है।

28. वर्तमान मामले के तथ्यों, यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता और रूस के उत्पादक दोनों ने एक दूसरे पर चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथव किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से संबंध अथवा नियंत्रण के होने से इनकार किया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने रूस सहित अनेक देशों पर पाटन रोधी शुल्कों को लगाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता ने रूस से निर्यातों के संबंध में 50-60% की पाटन मार्जिन की मात्रा का उल्लेख किया। रूस के उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया और यह दावा किया कि पाटन मौजूद नहीं है। याचिकाकर्ता के पास मांग की संपूर्णता को पूरा करने की क्षमता है, यह देखा जाता है कि इस उत्पाद की बहुत अधिक मात्रा की आपूर्ति रूस के उत्पादकों द्वारा की गई है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार, यह देखा जाता है कि *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कंपनी द्वारा क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के पश्चात कंपनी द्वारा निर्यात किया गया है। इस प्रकार कथित संबंध

अथवा नियंत्रण के बावजूद यह देखा जाता है कि रूस की कंपनी ने संगत अवधि के दौरान भारत को इस उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अलावा, किए गए आयातों की मात्रा बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा, जबकि निर्यातक ने पाटन के मौजूद नहीं रहने का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने रूस के द्वारा पाटन किए जाने का दावा किया है। प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में बहुत अधिक पाटन मार्जिन पाया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने एक शेयरहोल्डर द्वारा याचिकाकर्ता पर कथित नियंत्रण के बावजूद रूस के विरुद्ध भी इस देश में पाटन को रोकने के लिए कदम उठाया है। याचिकाकर्ता ने रूस के उत्पादकों द्वारा पाटन में भाग नहीं लिया है और न ही उसे रूस से इस तरह के पाटन होने से उत्तेजित हुआ है, न ही अपने आपको बचाया है बल्कि याचिकाकर्ता ने भारतीय बाजार में ऐसे पाटन के होने के विरुद्ध निवारण की मांग करने में प्रभावी कदम उठाया है। यह भी देखा जाता है कि वर्तमान कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों को छोड़कर रूस से कोई अन्य निर्यात हुआ प्रतीत नहीं होता है।

29. नियंत्रण के मौजूद होने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने सूचना, साक्ष्य अथवा दस्तावजों का उल्लेख किया है जो कंपनी के प्रचालनों के पूर्ण रूप से अलग-अलग कर्यक्षेत्र से संबंधित हैं। हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं यह माना है कि कथित नियंत्रण "आरक्षित श्रेणी" के क्षेत्रों में है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि जहां तक इस उत्पाद के दैनिक उत्पादन और बिक्री का प्रश्न हैं, घरेलू उद्योग को क्षति पहुचाने वाले पाटन और ऐसे पाटन के विरूद्ध घरेलू उद्योग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को शेयरहोल्डरों द्वारा नहीं रोका गया था और इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वह आरक्षित मदों की श्रेणी में नहीं आता है।

30. इसका भी कोई खंडन नहीं किया गया है कि वर्तमन मामले में बोर्ड के अधिकांश निदेशकों को आरआईएल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, यह तथ्य कि सिबर इन्वेस्टमेंट एजी का याचिकाकर्ता के बोर्ड में केवल दो निदेशक हैं, यह सिद्ध करता है कि एक अन्य शेयरहोल्डर नामत: आरआईएल याचिकाकर्ता को ऐसे पाटन के विरुद्ध निवारण की मांग करने से रोकने अथवा निदेश देने की स्थिति में है। वास्तव में कंपनी ने वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने में ऐसी कार्रवाई की है जो आगे सिबर इन्वेस्टमेंट एजी की निदेश देने की अक्षमता तथा आरआईएल की पाटन के विरुद्ध निवारण की मांग करने के लिए निदेश देने की क्षमता को सिद्ध करता है।

31. यह देखा जाता है कि संघ के अंतर नियम (एओए) के विभिन्न प्रावधानों में विधिक और वास्तविक नियंत्रण का अधिकार आरआईएल को और न कि सिबर को प्राप्त होने का

प्रावधान है। जबकि आरआईएल के पास स्वीकार्य तौर पर याचिकाकर्ता पर विधिक नियंत्रण का अधिकार है, वास्तविक नियंत्रण भी आरआईएल के पास है जो एओए के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के माध्यम से उसे मिला है। जबकि स्वीकार्य तौर पर कुछ मामलों को आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है और सिबर की सहमति निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, यह नोट किया जाता है कि इन आरक्षित मामलों और सिबर के पास अधिकार एओए के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के अध्यधीन है। इसके अलवा, यह देखा गया है कि संघ के अंतर नियम का अनुच्छेद 40 वास्तव में आरआईएल को आरआईएल और सिबर द्वारा नामित निदेशकों के बीच मतभेद की स्थिति में इसके पक्ष में निर्णय लागू करने का प्रावधन है। अन्य शब्दों में, यदि सिबर कथित वास्तविक नियंत्रण को लागू कर निर्णय लागू करने का प्रयास करता है तब आरआईएल के पास एओए के अंतर्गत विरोध संबंधी प्रावधानों को लागू कर उसे अधिक्रमित करने की क्षमता है। इस प्रकार से अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता हे कि याचिकाकर्ता पर विधिक और वास्तविक नियंत्रण दोनों आरआईएल के पास हैं और सिबर के पास प्राधिकारी द्वारा आरआईएल के निर्णय के प्रतिकूल तरीके से याचिकाकर्ता को नियंत्रित करने के लिए है।

32. संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में प्रवधानों के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी मामले में, ये प्रावधान संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करता है और साथ ही ऐसे संबंधित पक्षकार के लिए लेनदेन के वास्ते दूर का लेनदेन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। चूंकि आरआईएल याचिकाकर्ता में अधिकांश शेयरहोल्डर है और यह एक सूचीबद्ध कंपनी है अत: किसी भी तरीके से आरआईएल कंपनी अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में विभिन्न प्रावधानों से शासित नहीं होता है। यदि आरआईएल संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है और इससे यह अपेक्षित है कि वह ऐसे संबंधित पक्षकार के लेनदेन के साथ दूर का लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करे। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित पक्षकरों के साथ लेनदेन क्षति का निर्धारण करने के उद्देश्य से दूर का है।

33. जहां तक यूरोपीय कमीशन के निर्णय का संदर्भ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि न केवल यह निर्णय बिलकुल अलग संदर्भ में है बल्कि उक्त निर्णय यह भी साबित नहीं करता है कि याचिकाकर्ता सिबर द्वारा नियंत्रित है।

34. इस प्रकार प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियंत्रण का यह तथ्य स्थापित नहीं किया गया है जहां तक इसका संबंध वर्तमान कानून अथवा कर्यवाहियों से है। इसके अलावा प्राधिकारी यह मानते हैं कि अन्य कानूनों में नियंत्रण का अभिप्राय और उसकी अयोज्यता वर्तमान

उद्देश्यों से बिलकुल असंगत है। इसके अलावा, यदि दो पक्षकार भी संबंधित पक्षकार हैं तब केवल संबंध का तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र के रूप में मानने के लिए अपर्याप्त है। इस तथ्य के लिए पर्याप्त आधार होना ही चाहिए जिससे ऐसे संबंधित घरेलू उत्पादक का अपवर्जन न्यायोचित ठहराया जा सके। ऐसा साक्षय भी अवश्य होना चाहिए कि संबंधित घरेलू उत्पादक ने संबंध के कारण अलग तरीके से कार्य किया है अथवा पाटन की कार्यपद्धियों में भाग लिया है और ऐसे कदम उठाए हैं जिसके फलस्वरूप स्वयं के कारण क्षति हुई है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि दो पक्षकारों के बीच संबंध के फलस्वरूप याचिकाकर्ता ने एक असंबंधित उत्पादक से अलग तरीके से व्यवहार किया है।

35. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक के रूप में याचिकाकर्ता का व्यवहार ऐसा नहीं था कि उससे माना जा सके कि याचिकाकर्ता ने एक संबंधित कंपनी के तौर पर व्यवहार किया है। प्राधिकारी यह भी मानते हैं कि कंपनी अधिनियम के प्रावधान या विशेष संकल्पों की अपेक्षाएं वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत नहीं हैं।

36. प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि रूसी उत्पादक, पीजेएससी निज़नेकम्स्कनेफ़्तेखिम, या पीजेएससी सिबुर होल्डिंग या सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच द्वारा कोई सीधे निर्यात नहीं हुए हैं। रूस से *** निर्यात एक निर्यातक *** के माध्यम से किए गए हैं, जो रूसी उत्पादक या सिबुर कंपनियों से संबद्ध नहीं है। इस बात पर विवाद नहीं है कि ***, आरएसईपीएल से संबंधित नहीं है।

37. पूर्वोक्त को देखते हुए प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

38. घरेलू उद्योग ने बताया है कि उसने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले आईआईआर का आयात किया है ताकि भारत में फीड मार्केटिंग कार्यकलाप किए जा सके। तथापि, आयात जांच अवधि से पहले हुए थे और वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा से पहले हुए थे। तदनुसार, यह नोट किया गया है कि आवेदक को इस वजह से घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जा सकता है।

39. पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का अनंतिम निष्कर्ष है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत यथा परिभाषित घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षाएं पूरी करता है।

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना के अंतर्गत विहित सूचना का प्रकटन नहीं किया है।

ii. घरेलू उद्योग ने अन्य बाजारों में घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने के लिए प्रयासों के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

iii. घरेलू उद्योग ने इस संबंध में सूचना नहीं दी है कि क्या आर एंड डी व्यय हुए थे अथवा नहीं, निर्यातों के लिए बिक्री लागत, कुल आयातों के प्रतिशत रूप में आयातों की मात्रा, उत्पादन की शुरूआत की तारीख और उसे उपभोक्ताओं से अनुमोदन मिलने की तारीख कौनसी थी।

iv. घरेलू उद्योग ने क्षतिरहित कीमत या +/- 10 प्रतिशत की रेंज में उसकी संख्या के घटकों का प्रकटन नहीं किया है।

v. घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता और वित्तीय विवरण के गोपनीय होने का दावा किया है जबकि यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

vi घरेलू उद्योग ने पूरी परियोजना रिपोर्ट के गोपनीय होने का दावा किया है और अगोपनीय सारांश उपलब्ध नहीं कराया है।

vii. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि व्यापार के स्तर / बिक्री के चैनल पर क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार करना चाहिए, परंतु उनका प्रकटन नहीं किया है।

viii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसने कीमत कटौती और क्षति मार्जिन की रेंज बताई है। तथापि, उसने प्रपत्र IVख में उसका विवरण नहीं दिया है।

ix. निर्यातकों / उत्पादकों ने उत्पादित उत्पादों की सूची, विनिर्माण इकाइयों के ब्यौरे, उत्पादन प्रक्रिया, उसके बाद उत्पादन उपयोग की जानकारी दी है।

x. निर्यातकों / उत्पादकों ने घरेलू बाजार के लिए अपने वितरण चैनल और भारत को निर्यात के बारे में प्रश्नावली के अपने अगोपनीय उत्तर में विस्तार से बताया है।

xi. निर्यातकों/ उत्पादकों ने घरेलू बाजार और निर्यात कीमत में समायोजनों की प्रकृति का प्रकटन किया है, परंतु वास्तविक मूल्य व्यापारिक रूप से संवेदनशील है और उसका प्रकटन नहीं हो सकता है।

xii. निर्यातकों / उत्पादकों ने बताया है कि कुछ सहायक कार्यकलाप एक विक्रेता को ठेके पर दिए गए थे, परंतु उसके ब्यौरे व्यापार संवेदनशील हैं।

xiii. व्यापार सूचना 10/2018 में निर्यातकों / उत्पादकों को अपनी स्वामित्व संबंधी जानकारी गोपनीय रखने की अनुमति है।

xiv. उत्पाद कैटेलॉग संबंधी जानकारी विशेष रूप से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है और कतिपय निर्यातक / उत्पादक उत्पाद ब्राशर को परिचालित नहीं करते हैं, क्योंकि वे संबद्ध लोगों के जरिए उत्पादों की बिक्री करते हैं।

xv. कतिपय निर्यातकों / उत्पादकों ने दावा किया है कि उत्पादन प्रक्रिया, कच्ची सामग्री के नाम, आउटसोर्सिंग या उप संविदा के ब्यौरे, स्टार्ट-अप लागत समायोजन, कच्ची सामग्री के आयात, कच्ची सामग्री की खरीद या संबंधित पक्षकारों से सुविधाओं की खरीद, व्यापार स्वामित्व की जानकारी है और ऐसी जानकारी का खुलासा करना उनके व्यापार हितों के लिए हानिकारक होगा।

xvi. प्रयोक्ताओं ने प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर और आर्थिक हित प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों का समाधान किया है और पाटनरोधी शुल्क के संपूर्ण प्रभाव को गोपनीय नहीं माना है।

xvii. याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि कीमत कटौती और कीमत ह्रास रुझानों में नहीं दिए गए हैं और कम से कम बिक्री लागत और बिक्री कीमत के बीच अंतर को सूचीबद्ध रूप में देना चाहिए था, आरंभिक और

अंतिम मालसूची, मूल्यह्रास, निवल स्थिर परिसंपत्तियां, कार्यशील पूंजी, आयात मूल्य, आयात कीमत, पुन: बिक्री कीमत जैसे स्वयं आयातों के ब्यौरे और बाजार हिस्से को सूचीबद्ध रूप में नहीं दिया गया है।

ड.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

41. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. अन्य बाजारों में घरेलू बिक्री कीमत निर्धारित करने संबंधी प्रयासों के साक्ष्य गोपनीतया के दावे से संबंधित नहीं है।

ii. प्राधिकारी ने आवेदन प्रपत्र को संशोधित किया है जिसमें आवेदक के लिए आर एंड डी व्यय के ब्यौरे देना अपेक्षित नहीं है।

iii. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 5/2021 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा की गई व्यापार सूचना के अनुसार विशिष्ट अपेक्षाएं व्यापार सूचना 2/2018 दिनांक 1 फरवरी, 2018 के लिए हैं।

iv. व्यापार सूचना में आवेदक के लिए क्षतिरहित कीमत के घटक और +/- 10 प्रतिशत की रेंज में उसकी संख्या बताना अपेक्षित नहीं है।

v. यद्यपि निर्यातक यह बताने में असमर्थ रहा है कि वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख और वह तारीख जिसमें घरेलू उद्योग को उपभोक्तओं का अनुमोदन प्राप्त हुआ था, का प्रकटन करना क्यों अपेक्षित है। तथापि, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में प्रयोगिक उत्पादन शुरू किया था और मार्च 2022 में वाणिज्यिक उत्पाद घोषित किया।

vi घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में असंबद्ध उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची है जो संबद्ध वस्तु के व्यापारी या प्रयोक्ता हैं। उसने बिक्री कीमत और विभिन्न छूटों के ब्यौरे भी दिए हैं। प्राधिकारी को उसी स्तर पर बिक्री कीमत की तुलना करनी चाहिए जिस पर प्राधिकारी आयात कीमत पर विचार करते हैं और आयातों पर प्रदत्त वास्तविक सीमा शुल्क पर विचार करते हैं।

vii. घरेलू उद्योग ने रेंज रूप में कुल आयातों के प्रतिशत के तौर पर आयातों की मात्रा के साथ आवेदन का संशोधित अगोपनीय अंश, क्षमता सहित संशोधित प्रपत्र IV क, क्षति मार्जिन और वित्तीय विवरणों संबंधी सूचना प्रदान की है।

viii. परियोजना रिपोर्ट पूरी तरह से गोपनीय है और अनेक पूर्ववर्ती जांचों में भी इसे गोपनीय माना गया है। घरेलू उद्योग ने संशोधित अगोपनीय अंश में वास्तविक और अनुमानित सूचना के बीच तुलना के रूप में परियोजना रिपोर्ट का सारांश प्रस्तुत किया है।

ix. चूंकि 2022-23 के वित्तीय विवरण भी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद प्रकाशित हुए हैं इसलिए उनकी भी बाद में पूरक सूचना दी गई है।

x. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के अनेक उल्लंघन किए गए हैं।

xi. निर्यातकों / उत्पादकों ने गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश दिए बिना कतिपय प्रश्नों के पूरे उत्तर के गोपनीय होने का दावा किया है।

xii. निर्यातकों / उत्पादकों ने ऐसा कोई विवरण नहीं दिया है जो यह स्पष्ट करें कि उत्तरों का अगोपनीय सारांश क्यों संभव नहीं है।

xiii. निर्यातकों / उत्पादकों ने कोई औचित्य बताए बिना अपने उत्पाद कैटेलॉग के गोपनीय होने का दावा किया है।

xiv. निर्यातकों / उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के कारणों का विवरण व्यापार सूचना 1/2013 के अंतर्गत विहित प्रपत्र के अनुसार है।

xv. निर्यातक / उत्पादक निर्यात कीमत और कुछ मामलों में घरेलू बाजार की कीमत में दावा किए गए समायोजनों की जानकारी देने के लिए प्रयुक्त पद्धति के संबंध में कोई जानकारी देने में विफल रहे हैं।

xvi. निर्यातकों / उत्पादकों ने वितरण के चैनल के गोपनीय होने का दावा किया है और उसका कोई औचित्य नहीं बताया है।

xvii. विनिर्माण प्रक्रिया और प्रमुख कच्ची सामग्रियों के नाम किसी आवश्यक औचित्य के बिना गोपनीय रूप से बताए गए हैं।

xviii. निर्यातकों / उत्पादकों ने बीजक / बिक्री पश्चात् छूट या उनके उपभोक्ताओं को दी गई वर्ष के अंत में छूटों के संबद्ध में सूचना नहीं दी है। तथापि, इस संबंध में, उत्तर के पूरी तरह गोपनीय होने का दावा किया गया है।

xix. निर्यातकों / उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित विनिर्माण इकाइयों संबंधी समस्त सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

xx. प्रयोक्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद के उपयोग संबंधी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

xxi. कुछ प्रयोक्ताओं ने दावा किया है कि प्रस्तावित शुल्क से प्रयोक्ता उद्योग की लाभप्रदता में भारी गिरावट आएगी, परंतु इस प्रभाव की मात्रा की रेंज को भी शेयर किए बिना प्रभाव की संपूर्ण मात्रा के गोपनीय होने का दावा किया है।

xxii. प्रयोक्ता आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर में पर्याप्त सूचना देने में विफल रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी टिप्पणियों को सुरक्षित रखा है। ऐसे अपर्याप्त उत्तर से प्रश्नावली जारी करने की पूरी प्रक्रिया निष्फल हो सकती है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

42. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय रूपांतरण को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया था।

43. सूचना की गोपनीयता के बारे में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट

होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

44. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की ऐसे दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गापेनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां संभव हों, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। घरेलू उद्योग को अन्य हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर अगोपनीय अंश को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था और घरेलू उद्योग ने उसे प्रस्तुत किया तथा प्राधिकारी ने उसे स्वीकार किया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

45. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने इस बारे में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया है कि इस जांच को किसी स्थापित हो रहे उद्योग के लिए वास्तविक बाधा क्यों माना जाना चाहिए।

ii. चूंकि आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि नहीं हुई है इसलिए घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति या वास्तविक बाधा होने कोई आधार नहीं है।

iii. घरेलू उद्योग की वेबसाइट के अनुसार उनका संयंत्र 2019 में चालू हुआ था। वह व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रक्रिया संबंधी मैनुअल में प्रदत्त वास्तविक बाधा की परिभाषा के अनुसार वास्तविक बाधा का दावा नहीं कर सकते हैं।

iv. जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए क्षति का कोई कानूनी आधार नहीं है।

v. घरेलू उद्योग के सभी कारक विचारित संपूर्ण क्षति अवधि में सकारात्मक रहे हैं।

vi वित्तीय वर्ष 2021-22 और प्रस्तावित पीओआई (जनवरी, 2022 – दिसंबर, 2022) के तीन महीने साझे हैं। घरेलू उद्योग को तुलनीय कलेंडर वर्षों 2019, 2020 और 2021 तथा 2022 (पीओआई) के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।

vii. अतिव्यापी अवधि के साथ दो वर्षों की तुलना से सही तस्वीर का पता नहीं चल सकता है। अतिव्यापी अवधियों के बिना केवल समान अवधि की तुलना से घरेलू उद्योग को क्षति का उचित आकलन हो पाएगा।

च.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

46. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. एक्सोनमोबिल द्वारा किया गया अनुरोध काफी देरी से है, क्योंकि उसकी अंतिम तिथि 14 दिसंबर, 2023 थी जबकि इसे 9 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसे अनुरोध को अस्वीकृत कर देना चाहिए। पैनल और अपीलीय निकाय ने अनेक रिपोर्टों में यह माना है कि जांचकर्ता प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए समय पश्चात् अनुरोध को अस्वीकृत कर सकते हैं।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई। वर्तमान जांच प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से प्रदत्त विस्तृत सूचना के आधार पर और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद शुरू की गई कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इसके अलावा, जांच शुरूआत के बाद आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से जानकारी मांगी गई थी और आवेदक ने उसे प्रस्तुत किया है।

48. प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) की है और क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021 -22 की अवधि शामिल है। प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3क) के अनुसार है।

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की जांच की है। अत: प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी की जांच करने के लिए स्थापित हो रहा उद्योग नहीं माना है।

50. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि पक्षकारों ने देरी से अनुरोध प्रस्तुत किए हैं जबकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह अनुरोध वास्तव में काफी देरी से किए गए हैं फिर भी प्राधिकारी ने इन अनुरोधों पर विचार करना उचित समझा है। प्राधिकारी ऐसे पक्षकारों के आचरण को अनुचित मानते हैं।

छ. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

51. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों के लिए लागत संबंधी आंकड़ों की सूचना या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

ii. घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि वह संबद्ध देशों से लागत संबंधी सूचना प्राप्त करने में असमर्थ क्यों रहा था।

iii. घरेलू उद्योग द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य पाटनरोधी करार के अनुच्छेदों 5.2(iii), अनुच्छेद 2.2, और अनुच्छेद 2.2.2 का उल्लंघन करता है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के आंकड़ों पर भरोसा किया है और विभिन्न घरेलू उद्योगों के बीच विनिर्माण, एसजी और ए तथा लाभ में अंतर पर विचार नहीं किया है। किसी तर्क संगत स्पष्टीकरण के बिना संबद्ध देशों के लिए केवल एक परिकलित सामान्य मूल्य दिया गया है।

iv. घरेलू उद्योग सऊदी अरब से प्राप्त निर्यात कीमत में किए गए समायोजनों का कोई साक्ष्य नहीं दिया है और चीन तथा सऊदी अरब के लिए किसी औचित्य के बिना समान समुद्री भाड़े के समायोजन का प्रयोग किया है।

v. रूस को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए जैसे कि हाल के जांचों में यूएसए और कनाडा ने किया है। यूरोपीय आयोग भी रूस की अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में भारी गड़बड़ियों को देखता है।

छ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

52. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन. गण. को चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 (क)(i) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मानना चाहिए और समान्य मूल्य को नियमावली के नियम 7 के अनुबंध I के अनुसार निर्धारित करना चाहिए।

ii. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत जमा लाभ पर विचार करते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर चीन के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

iii. संबद्ध देशों के लिए घरेलू बिक्री के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। चूंकि अधिकांश संबद्ध देश संबद्ध वस्तु के निवल निर्यातक हैं। इसलिए संबद्ध देशों में आयात कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है।

iv. तदनुसार, घरेलू उद्योग ने वैकल्पिक आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है। घरेलू उद्योग ने उसके पास तर्कसंगत रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध देशों में उत्पादन लागत जमा लाभ से संबंधित उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

v. निर्यात कीमत को प्रकाशित डीजीसीआई एंड एस आंकड़ों से अपनाई गई प्रस्तावित जांच अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए कारखानाद्वार निर्यात कीमत निर्धारित करने हेतु किए गए आवश्यक समायोजनों के बाद निर्धारित करना चाहिए।

vi संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन न केवल निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

53. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) *उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड
ख. एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम
ग. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी
घ. एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड
ड. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी
च. सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच
छ. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्डिंग
ज. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम
झ. ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ

छ.3.1 <u>सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण</u>

<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

55. प्राधिकारी चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत प्रावधान निम्नानुसार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध

देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन

बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जॉच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

56. जांच शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानते हुए कार्रवाई की थी। जांच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों को जांच शुरूआत की सूचना का उत्तर देने और यह जानकारी देने की सलाह दी थी कि क्या सामान्य मूल्य के निर्धारण में उनके आंकड़ों / सूचना को अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में, संगत सूचना देने के लिए चीन जन. गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार्य / पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं।

57. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"(क) जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन

की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि चीन जन. गण. के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में यथा उल्लिखित मान्यता के खंडन के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

60. यह नोट किया गया कि एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में गैर-अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य की गणना हेतु तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर; (ख) ऐसी किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर । प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य मूल्य को पहले प्रतिनिधि देश की कीमत या परिकलित मूल्य या ऐसे देशों से भारत सहित अन्य देशों को निर्यातों की कीमत के आधार पर निर्धारित करना चाहिए।

61. आवेदन प्रस्तुत करने के समय घरेलू उद्योग ने बताया था कि चीन के लिए सामान्य मूल्य समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजन के बाद परिकलित किया जाना चाहिए।

62. यह नोट किया जाए कि पहले और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए पक्षकारों द्वारा कोई सूचना / साक्ष्य नहीं दिया गया है। किसी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसे किसी देश का सुझाव नहीं दिया है जिसे सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु उचित तीसरा देश माना जा सके। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में उत्पादित संबद्ध वस्तु की कीमत या परिकलित मूल्य के संबंध में किसी पक्षकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

63. प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या भारत में उचित तीसरे देश से कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया जा सकता है। तथापि, यह नोट किया गया था कि संबद्ध आयात भारत में कुल आयातों का 97 प्रतिशत हैं। संबद्ध देशों के अलावा, किसी देश ने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद की तर्कसंगत मात्रा का निर्यात नहीं किया है। अन्य संबद्ध देश से आयात कीमत पहले से कथित पाटित कीमत है। इसके मद्देनजर भारत को किसी उचित तीसरे देश से निर्यातों की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

64. उक्त सूचना / साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी के लिए पहली और दूसरी पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है। अत: प्राधिकारी ने तीसरी पद्धद्धि अर्थात् भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित किया है।

65. इस प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ घरेलू उद्योग की ईष्टतम उत्पादन लागत पर विचार किया है।

<u>चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत</u>

66. चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ डीजी सिस्टम द्वारा प्रदत्त सूचना पर विचार किया गया है। इसके अलावा, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय और कमीशन के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कीमत समायोजन किए गए हैं।

<u>सिंगापुर के लिए सामान्य मूल्य</u>

एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल")

67. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल") सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ईएमएपीपीएल ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री के अभाव में प्राधिकारी ने उत्पादक की उत्पादन लागत पर सामान्य मूल्य के प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ आधार के रूप में विचार किया है।

68. प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ कारखानाद्वार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ लाभ मार्जिन पर पूरी कंपनी के लाभ के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

सिंगापुर में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

69. सिंगापुर से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

सिंगापुर के लिए निर्यात कीमत

एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड ("ईएमएपीपीएल"), एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड ("एमआरएफ एसजी") और सीआईएईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("सीआईएईएल")

70. एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) सिंगापुर में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। ईएमएपीपीएल ने असंबंधित उपभोक्कताओं को सीधे भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है और असंबंधित व्यापारी अर्थात् एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड (एमआरएफ एसजी) और सीआईएईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सीआईएईएल) के माध्यम से निर्यात किया है। एमआरएफ एसजी और सीआईएईएल ने भारत में अपनी संबंधित कंपनियों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। इसके अलावा, ईएमएपीपीएल की भारत में एक संबंधित कंपनी अर्थात् एक्सॉनमोबिल एशिया

पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (ईएमएपीपीएल) है। तथापि, सीआईएईएल विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण या खरीब या बिक्री में शामिल नहीं है। सीआईएईएल भारत में एक सेवा कंपनी के रूप में कार्य करती है और विपणन सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक (ईएमसीएपी), ईएमएपीपीएल का एक डिवीजन है। यह विचाराधीन उत्पाद की खरीद और बिक्री में शामिल है और उसने भारत और अन्य देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, ईएमएपीपीएल ने ईएमसीएपी के जरिए भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात नहीं किया है। जांच अवधि के दौरान ईएमएपीपीएल ने निम्नलिखित वितरण चैनलों के जरिए वस्तु का निर्यात किया है।

ईएमएपीपीएल → भारत में असंबंधित उपभोक्ता
ईएमएपीपीएल → एमआरएफ एसजी → भारत में संबंधित उपभोक्ता
ईएमएपीपीएल → सीआईएईएल → भारत में संबंधित उपभोक्ता

71. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान ईएमएपीपीएल *** एमटी विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिसमें से *** एमटी भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे और *** एमटी असंबंधित व्यापारी के जरिए निर्यात किया गया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, बीमा, ऋण लागत, कमीशन, भंडागार और भारत को सीधी बिक्री के लिए संबंधित लागतों हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं। भारत को व्यापारियों के माध्यम से निर्यातों के लिए ऋण लागत और बैंक प्रभार हेतु कीमत समायोजन किए गए हैं। निर्यातक ने *** से निर्यातों के लिए भारत को किए गए निर्यातों पर घाटे के लिए समायोजनों का दावा किया है। वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ इसे स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत अनंतिम रूप से निर्धारित की है।

<u>सिंगापुर से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

72. सिंगापुर से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के निमय 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

<u>सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य</u>

<u>अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")</u>

73. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या") सऊदी अरब में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि केम्या ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में वस्तु की बिक्री नहीं की है। घरेलू बिक्री के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ उत्पादन लागत पर विचार किया है।

74. प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ के लिए तर्कसंगत योग के साथ कारखानाद्वार उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रयोजनार्थ लाभ मार्जिन पर पूरी कंपनी के लाभ (***) के आधार पर विचार किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>सऊदी अरब में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

75. सऊदी अरब से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>सऊदी अरब के लिए निर्यात कीमत</u>

अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या"), एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, ("ईएमपीसी") और एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ("ईएमसीएपी"), सीआईएईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("सीआईएईएल")

76. अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या") सऊदी अरब में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। केम्या ने अपने संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् एक्सॉनमोबिल - एक्सॉनमोबिल पेट्रोलियम एंड केमिकल बीवी, बेल्जियम (ईएमपीसी) और एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर (ईएमसीएपी) के लिए भारत को निर्यात हेतु विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। ईएमपीसीएपी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता वस्तु का निर्यात किया है। ईएमपीसी ने केम्या से वस्तु को खरीदा है और ईएमसीएपी को बेचा है जिसे सीआईएईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सीआईएईएल एसजी) को वस्तु की पुन: बिक्री की गई है जिसे भारत में उसकी संबंधित कंपनी को निर्यात किया गया है।

केम्या → ईएमपीसी → ईएमसीएपी → सीआईएईएल एसजी → भारत में संबंधित कंपनियां

केम्या → ईएमसीएपी → भारत में असंबंधित उपभोक्ता

77. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान केम्या ने *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत, समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, भंडार लागत, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए स्वीकार किया गया है। तदुनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत को अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

<u>सऊदी अरब से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

78. सऊदी अरब से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के निमय 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

<u>रूस के लिए सामान्य मूल्य</u>

79. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि रूस को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने वह कानूनी प्रावधान नहीं बताया है जिसके अंतर्गत रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश माना जाना चाहिए और न ही साक्ष्यों के साथ यह सिद्ध किया है कि संबद्ध वस्तु के संबंध में रूस के प्रचालन लागत या कीमत संरचना के बाजार सिद्धांतों के अनुसार नहीं हैं। यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि यूएसए और कनाडा ने रूस को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना है। तथापि, उन्होंने वर्तमान विचाराधीन उत्पाद के संबंध में यह निष्कर्ष नहीं निकाला है। रिकार्ड में साक्ष्यों के अभाव में रूस को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता है।

<u>पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम (एनकेएनएच)</u>

80. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम (''एनकेएनएच'') रूस में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एनकेएनएच ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में ***

एमटी संबद्ध वस्तु बेची है। जबकि भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी पीसीएन वार आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण करते हैं। यदि लाभ कमाने वाले सौदे कुल बिक्री के 80 प्रतिशत से अधिक होते हैं तो सभी सौदों को घरेलू बिक्री में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है और यदि लाभप्रद सौदे 80 प्रतिशत से कम होते हैं तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभप्रद बिक्रियों पर विचार किया जाता है। वर्तमान मामले में चूंकि 80 प्रतिशत से अधिक घरेलू बिक्रियां लाभप्रद हैं इसलिए सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु विचार किया गया है। कंपनी ने बीमा और अंतर्देशीय परिवहन के लिए कीमत समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। इस प्रकार एनकेएनएच के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य पीओआई के लिए परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>रूस में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य</u>

81. रूस से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>रूस के लिए निर्यात कीमत</u>

<u>पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम ("एनकेएनएच"), सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच ("एसआई जीएमबीएच") और पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्डिंग ("सिबुर होल्डिंग") और ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ ("ट्रिगॉन")</u>

82. पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ्तेखिम (एनकेएनएच) रूस में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। एनकेएनएच ने रूस में असंबंधित व्यापारियों - सिबुर इंटरनेशनल जीएमबीएच (जीएमबीएच) और पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक सिबुर होल्डिंग

(एसआईबीयूआर होल्डिंग) के माध्यम से भारत को विचराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिन्होंने आगे इस वस्तु को संयुक्त अरब अमीरात में एक असंबंधित निर्यातक - ट्रिगॉन गल्फ एफजेडसीओ (ट्रिगॉन) को वस्तु बेची है जिसने विचाराधीन उत्पाद को भारत में असंबंधित उपभोक्ता को बेचा है।

एनकेएनएच→ सिबूर होल्डिंग → एसआई जीएमबीएच → ट्रिगॉन → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
एनकेएनएच→ एसआई जीएमबीएच → ट्रिगॉन → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता

83. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान ट्रिगॉन के जरिए एनकेएनएच ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। मैटल कंटेनर, अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, लागत, अन्य लॉजिस्टिक प्रभार, बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन और भंडारण के लिए दावा किए गए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए स्वीकार किया गया है। तदुनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत को अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

<u>रूस से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

84. रूस से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के निमय 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

<u>यूएसए के लिए सामान्य मूल्य</u>

<u>एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूसंश कंपनी ("ईएमपीएससी")</u>

85. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूसंश कंपनी ("ईएमपीएससी") यूएसए में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। ईएमपीएससी ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में *** एमटी संबद्ध वस्तु बेची है। जबकि भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातों की तुलना में घरेलू बिक्रियां पर्याप्त मात्रा में हैं। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए प्राधिकारी पीसीएन वार आधार पर संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदों के निर्धारण हेतु

व्यापार का सामान्य प्रक्रिया परीक्षण करते हैं। कंपनी ने अंतर्देशीय परिवहन, ऋण लागत और व्यापार समायोजन के स्तर के लिए कीमत समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी ने उनकी अनुमति दी है। इस प्रकार ईएमपीएससी के लिए कारखानाद्वार स्तर पर सामान्य मूल्य पीओआई के लिए परिकलित किया गया है और नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

यूएसए में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

86. यूएसए से सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

यूएसए के लिए निर्यात कीमत

एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी"), एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक ("ईएमसीएपी"), एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड ("एमआरएफ एसजी") और सीआईएईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ("सीआईएईएल")

87. एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी ("ईएमपीएससी") यूएसए में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। ईएमपीएससी ने अपने एक संयुक्त उद्यम भागीदार अर्थात् एक्सॉनमोबिल - एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक, सिंगापुर (ईएमसीएपी) ने भारत को निर्यातों के लिए और एमआरएफ एसजी पीटीई लिमिटेड (एमआरएफ एसजी) और सीआईएईएल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड (सीआईएईएल) को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की है। जिसने भारत में अपनी असंबंधित कंपनियों को वस्तु बेची है।

ईएमपीएससी → ईएमसीएपी → भारत में असंबद्ध उपभोक्ता
ईएमपीएससी → एमआरएफ एसजी → भारत में संबंधित कंपनियां
ईएमपीएससी → सीआईएईएल → भारत में संबंधित कंपनियां

88. यह नोट किया गया है कि पीओआई के दौरान ईएमसीएपी ने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को सीधे *** एमटी पीयूसी का निर्यात किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, भंडारण व्यय, बीमा, ऋण लागत, कमीशन, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के लिए समायोजनों को वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम के लिए स्वीकार किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने नीचे पाटन मार्जिन तालिका में यथा उल्लिखित निर्यात कीमत को अनंतिम रूप से निर्धारित किया है।

<u>यूएसए से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

89. यूएसए से अन्य असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत को नियमावली के निमय 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

छ.3.2 पाटन मार्जिन

वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार है:

<u>पाटन मार्जिन तालिका</u>

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	50-60%
सिंगापुर					
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड/ एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	25-35%

कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%
रूस					
पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम	***	***	***	***	30-40%
कोई अन्य	***	***	***	***	35-45%
चीन					
कोई	***	***	***	***	10-20%

ज. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

90. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में उत्पादकों / निर्यातकों / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. सिबुर की कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का पाटन सभी संबद्ध देशों आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को एकत्रित करके अन्य संबद्ध देशों से क्षतिरहित आयातों को समाप्त करने का प्रयास है और याचिकाकर्ता को बाजार को एकाधिकारी बनाने की अनुमति देता है। प्राधिकारी को अपने क्षति विश्लेषण में रूस से संबद्ध आयातों को अलग-अलग करना चाहिए।

ii. सिबुर ने याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन की शुरूआत के समय तक कम कीमत पर जानबूझकर निर्यात किया है और उसके बाद याचिकाकर्ता के उत्पादन शुरू करने पर निर्यात कम कर दिए हैं। याचिकाकर्ता कम कीमत पर रूस से विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा था और 2018-19 और 2019-20 में भारतीय बाजार में बेच रहा था।

iii. रूस से आयातों को क्षति विश्लेषण के लिए अलग करना चाहिए, क्योंकि रूस से आयात के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति अलग है क्योंकि याचिकाकर्ता रूस के एक प्रमुख उत्पादक / निर्यातक से संबंधित है, रूस के निर्यातकों द्वारा रखी गई कीमत गड़बड़ी वाली है क्योंकि वह एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था है। रूस की आयात कीमत 2020-21 को छोड़कर संबद्ध देशों में से सबसे कम रही है, रूस भारत को विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। रूस से आयातों की कीमत में अन्य देशों की कीमत वृद्धि की तुलना में काफी कम वृद्धि हुई

है। रूस से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है जबकि अन्य देशों की मात्रा में वृद्धि हुई है।

iv. संबद्ध देशों से आयात में समग्र या उत्पादन और खपत की दृष्टि से निरंतर गिरावट आई है। तुलना करने पर मांग और याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

v. चीन से आयातों में वृद्धि हुई है। रूस के मूल के उत्पाद को चीन से निर्यातित किया गया है और प्राधिकारी इसकी जांच कर सकते हैं।

vi कोई कीमत प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है जिससे बेहतर मार्जिन मिला है।

vii. घरेलू उद्योग को कीमत कटौती से नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा, अनुमानित कीमत से कथित पाटित आयातों की कीमत की तुलना से अनुच्छेद 3.2 की अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है। घरेलू उद्योग ने अनुमानित कीमत का आधार नहीं दिया है और यह नहीं बताया कि क्या यह अनुमानित कीमत तर्कसंगत रूप से संबद्ध वस्तु की औसत कीमत के बराबर है।

viii. घरेलू बिक्री के बिक्री कीमत न तो कम है और न ही न्यून है, बल्कि क्षति अवधि के दौरान निरंतर बढ़ रही है।

ix. सऊदी अरब से आयातों की पहुंच कीमत में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और वह वैश्विक बाजार के कीमत रुझानों के समान है।

x. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और उत्पादन मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है जबकि इसी के साथ संबद्ध आयातों और अन्य आयातों में गिरावट आई है।

xi. याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि एचआईआईआर की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, आबद्ध खपत, घरेलू बिक्री, बिक्री कीमत और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता की मालसूची में गिरावट आई है।

xii. क्षमता उपयोग के आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि आबद्ध और व्यापारिक उत्पादन दोनों के लिए क्षमता पर विचार किया गया है। जबकि केवल व्यापारिक उत्पादन

पर विचार करना होता है। इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उत्पादन में अलग विशेषता का उत्पाद शामिल है।

xiii. केयर रेटिंग्स की प्रेस विज्ञप्ति दर्शाती है कि याचिकाकर्ता ने 2023-24 की पहली तिमाही में पूरी क्षमता पर प्रचालन किया है।

xiv. औसत मालसूची में उच्चतर घरेलू बिक्री मात्रा और निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण संपूर्ण अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है।

xv. उत्पादकता सूचकांक (प्रति दिन, कर्मचारी और प्रति दिन प्रति कर्मचारी) में पूरी अवधि के दौरान धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

xvi. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

xvii. याचिकाकर्ता की प्रति इकाई ब्याज लागत में गिरावट आई है। यद्यपि याचिकाकर्ता के लाभ और हानि विवरण में कोई ब्याज लागत सूचित नहीं की गई है। तथापि, याचिका में उसका उल्लेख है।

xviii. चूंकि कुल ब्याज लागत अस्थिर रही है। इसलिए पूंजीगत संरचना अब तक स्थिर नहीं हुई है जो किसी भी शुरूआती प्रचालन के लिए आम बात है।

xix. याचिकाकर्ता को क्षति उच्च स्टार्ट-अप लागतों के कारण हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले निवेश करना पड़ा था।

xx. याचिकाकर्ता को स्टार्ट-अप लागतों और प्रचालन के आरंभिक वर्षों में मूल्यह्रास के कारण घाटा उठाना पड़ा है और क्षति अवधि के दौरान यह घाटा कम हो गया है।

xxi. सार्वजनिक रूप से उपलबध लाभ और घाटा विवरण के अनुसार याचिकाकर्ता को 2019-20 के दौरान लाभ हुआ था जबकि वह केवल आईआईआर का उत्पादन कर रहा था। इस प्रकार प्रस्तुत आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं।

xxii. याचिकाकर्ता ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण नहीं किया है क्योंकि कच्ची सामग्री की कोई खपत नहीं हुई है और

इस प्रकार ऐसी अवधि में किसी घाटे के लिए विनिर्माण प्रचालन जिम्मेदार नहीं है।

xxiii. प्राधिकारी आरआईएल और याचिकाकर्ता के बीच कच्ची सामग्री की खरीद संबंधी करार का सत्यापन कर सकते हैं और यह जांच कर सकते हैं कि क्या यह खरीद दूरवर्ती आधार पर की गई थी।

xxiv. याचिकाकर्ता लगातार संपत्ति संयंत्र और उपकरण में निवेश कर रहा है इसलिए उसने भारतीय बाजार में सकारात्मक रुझान की परिकल्पना की होगी।

xxv. याचिकाकर्ता के अनुरोधों के विपरीत उसे निर्यात के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा था क्योंकि निर्यातों में 2020-21 के बाद गिरावट आई है।

xxvi. याचिकाकर्ता ने अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि की है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या और वेतन लागत में गिरावट आई है जबकि उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

xxvii. वाणिज्यिक उत्पादन से पहले एक नयी कंपनी जो जांच अवधि के अंत तक अनुमोदन के लिए उपभोक्ताओं को नमूने भेजती है और इस कार्य में 12-18 महीने लगते हैं। इस प्रकार वाणिज्यिक उत्पादन करने में देरी उपभोक्ता के अनुमोदन के लंबी प्रक्रिया के कारण हुई है।

xxviii. क्षति याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सीमित रेंज के कारण भी हो सकती है। याचिकाकर्ता उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित किस्मों के लिए भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता है।

xxix. याचिकाकर्ता ने ऐसे समय पर उत्पादन शुरू किया है जब ब्यूटाइल रबड़ का वैश्विक व्यापार आर्थिक मंदी में था। वैश्विक रूप से क्षमता अधिक थी जिससे विश्व भर में बाजारों में कीमतें कम थीं। 2013 से वैश्विक क्षमताओं में वैश्विक मांग की तुलना में अधिक वृद्धि हुई थी।

xxx. 2020 से वैश्विक टीएफई लागतों में वृद्धि हुई है परंतु ब्यूटाइल रबड़ की कीमतों में इसके अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। प्राधिकारी को वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के क्षतिकारी प्रभाव को अलग रखना चाहिए और उसमें अंतर करना चाहिए।

xxxi. याचिकाकर्ता को क्षति को कोविड-19 के कारण हुई जिससे उत्पाद की आपूर्ति, उत्पाद की मांग में रुकावट आई है और याचिकाकर्ता के वाणिज्यिक प्रचालनों में देरी हुई है। याचिकाकर्ता का संयंत्र मार्च 2020 से मई 2020 तक बंद रहा था। जांच अवधि के दौरान याचिकाकर्ता वैश्विक महामारी से रिकवरी की प्रक्रिया में था।

xxxii. याचिकाकर्ता की मूल्यह्रास की लागत के साथ उच्च स्थिर लागतों को क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के समय मानकीकृत किया जाना चाहिए।

xxxiii. घरेलू उद्योग ने कोई साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना अतर्कसंगत रूप से उच्च क्षतिरहित कीमत का आरोप लगाया है।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

91. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. उत्पादन की कुल अवधि में घरेलू उद्योग को *** दिनों या लगभग *** महीनों की अवधि के लिए संयंत्र बंद करना पड़ा है।

ii. यद्यपि घरेलू उद्योग ने फरवरी 2021 में परीक्षण प्रक्रिया में ईष्टतम उत्पादन हासिल किया है। तथापि, उसे वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा को रोकना पड़ा था।

iii. बाजार में घरेलू उद्योग की मौजूदगी के बावजूद आयातों की मात्रा अधिक बनी रही और देश में कुल आयातों का 97 प्रतिशत रही थी।

iv. कीमत कटौती दो उपभोक्ताओं को छोड़कर सकारात्मक है।

v. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की अनुमानित बिक्री कीमत से काफी कम है। चूंकि घरेलू उद्योग बाजार में एक नया प्रवेशकर्ता है इसलिए वह आयात कीमत से उच्चतर कीमत नहीं ले सकता है।

vi कुछ निर्यातक बीजक पश्चात् छूटों की अनुमति देते हैं। इसके परिणामस्वरूप सीआईएफ कीमत को अधिक बताया गया है।

vii. कुछ प्रयोक्ताओं ने संबद्ध देशों में अपनी संबद्ध खरीद कंपनियां स्थापित की हैं जिन्होंने घरेलू रूप से वस्तु की खरीद की है और उसके बाद उच्चतर कीमत पर आपूर्ति की है।

viii. कीमत कटौती को महीना-वार तुलना के आधार पर परिकलित किया जाना चाहिए।

ix. उस कीमत जिस पर समान महीने में समान उपभोक्ता द्वारा संबद्ध वस्तु खरीदी गई है, में भारी अंतर है। कम कीमत वाले आयातों ने कीमतों का एक बेंचमार्क निर्धारित किया है जिसकी उपभोक्ता घरेलू उद्योग से उम्मीद करते हैं।

x. यद्यपि घरेलू उद्योग ने नकद घाटों में कटौती की है। तथापि, निर्यातक 45-60 दिनों की लंबित क्रेडिट अवधि दे रहे हैं जिसे पहुंच कीमत के निर्धारण में समायोजित किया जाना चाहिए।

xi. यद्यपि इस पर प्रश्न उठाया गया है कि घरेलू उद्योग आयातों की कीमत से कम कीमत क्यों प्रभारित कर रहा है। तथापि, घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का केवल एक छोटा हिस्सा घरेलू बाजार में शेयर करने में सक्षम रहा है।

xii. चूंकि संबद्ध पक्षकारों से सौदे हुए हैं इसलिए कीमत कटौती क्षति मार्जिन को उत्पादक की कीमतों के आधार पर निर्धारित करना चाहिए और न कि निर्यातक के आधार पर । ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रयोक्ता उस कीमत पर कीमत की सौदेबाजी करते हैं जिस पर संबद्ध निर्यातक उत्पादक से उत्पाद को खरीद रहा है।

xiii. यूएसए के मामले में थोड़ी मात्रा को छोड़कर सभी सौदे संबंधित पक्षकार के सौदे हैं।

xiv. आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमत वृद्धि नहीं कर पाया और उसे लागत से कम पर बिक्री करनी पड़ी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु को ऐसी कीमत पर बेच रहा है जो अनुमानित कीमत से काफी कम है।

xv. यह भलिभांति स्वीकृत है कि घरेलू उद्योग को मात्रात्मक क्षति या कीमत क्षति हो सकती है। इन दोनों की मौजूदगी आवश्यक नहीं है।

xvi. घरेलू उद्योग अपना अनुमानित उत्पादन और क्षमता उपयोग वर्तमान जांच अवधि के अंत तक हासिल करने में असमर्थ रहा था।

xvii. घरेलू उद्योग का *** महीनों की अवधि के भीतर 90 प्रतिशत से अधिक क्षमता उपयोग हासिल करने का अनुमान था। इसके बजाय, *** महीनों के लिए उत्पादन करने के बाद भी उसका क्षमता उपयोग केवल *** प्रतिशत है।

xviii. घरेलू उद्योग आयातों के कारण 910 दिनों तक वाणिज्यिक उत्पादन घोषित करने में असमर्थ रहा था।

xix. क्षमता उपयोग केवल *** प्रतिशत की घरेलू बिक्रियों पर आधारित है।

xx. यद्यपि घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग से अधिक क्षमता है। तथापि, उसका बाजार हिस्सा *** प्रतिशत रहा है।

xxi. घरेलू उद्योग ने निर्यात का कोई अनुमान नहीं लगाया है। इसके बावजूद उसे अपने उत्पादन के *** प्रतिशत का निर्यात करना पड़ा है।

xxii. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान *** करोड़ रुपये का संचयी वित्तीय घाटा हुआ है। यद्यपि उसने प्रचालन के *** में भारी लाभ का अनुमान लगाया था। तथापि उसे घाटा और नकारात्मक ईबीआईडीटीए लगातार झेलना पड़ा है।

xxiii. नकद लाभ और निवेश पर आय में इस अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है।

xxiv. घरेलू उद्योग की वास्तविक पीबीआईटी *** प्रतिशत आय के लिए आवश्यक पीबीआईटी से 122 प्रतिशत कम रहे हैं।

xxv. प्रचालन की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग न लाभ, न हानि की स्थिति में भी नहीं रहा है।

xxvi. वर्तमान कीमतों पर घरेलू उद्योग को न केवल वर्तमान क्षमता उपयोग बल्कि प्रचालन के प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग के लिए भी भारी घाटा होगा।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

92. अनुबंध-2 के साथ पठित पाटन-रोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में *" ....पाटित आयातों की मात्रा , समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "...* ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और विपरीत तर्कों की जांच की है । यहां नीचे प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों का उल्लेख करता है।

94. आर आई एल और आर एस ई पी एल के बीच तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान प्रारंभिक निर्धारण और उपलब्ध कराई गई सूचना के लंबित सत्यापन के उद्देश्या से और यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी संबंधित पार्टी सौदे नजदीकी कीमतों (आर्म्स लैंथ प्राइज) पर किए गए हैं, उचित रूप से संतुष्ट होने के पश्चात घरेलू उद्योग के आंकड़ों को स्वीकार किया गया है ।

95. वैश्विक आर्थिक विकास और अधिक क्षमताओं के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत में कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है । यदि वैश्विक अतिरिक्त क्षमताएं पाटन का कारण हैं और यदि यह भारतीय उद्योग को क्षति पहुंचा रही है, तो ऐसे पाटन के विरूद्ध उपचार की मांग करना उद्योग के लिए उचित है । घरेलू उद्योग को क्षति का घरेलू बाजार के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है । अतिरिक्त क्षमता या कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन भारत में पाटन की अनुचित व्यापार पद्धति के संलग्न होने के लिए निर्यातकों को औचित्य प्रदान नहीं करता ।

96. घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 में ट्रायल उत्पादन आरंभ किया और मार्च, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की । इसलिए, 2019-20 के लिए आंकड़े, सितंबर, 2019 से आरंभ कर मार्च, 2020 तक के ट्रायल उत्पादन से संबंधित हैं ।

ज.3.1 <u>क्षति का संचयी आकलन</u>

97. डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध-III में यह व्यवस्था की गई है कि यदि, जहां किसी उत्पाद का आयात एक से अधिक देश से किया जा रहा है और वे एक ही समय एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हैं, वहां प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि यह निर्धारित होता है कि :-

    क. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में सत्यापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशतांक के रूप में अभिव्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है अथवा जहां पृथक देशों से निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार होंगे ।

    ख. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित है ।

98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :-

क. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है । प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन की मात्रा नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

ख. प्रत्येक संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा पृथक-पृथक रूप से आयातों की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है ।

ग. आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल उनमें से प्रत्येक के द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं से सीधे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तु से भी प्रतिस्र्धा कर रहे हैं ।

99. प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के संबंध में, संबद्ध देशों से आयात मात्रा की प्रवृति दर्शाती है कि जहां रूस और यू. एस. ए. से आयातों में गिरावट आई है, सिंगापुर से आयातों में वर्ष 2020-21 और 2021-22 में गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि में इस में वृद्धि हुई । सउदी अरब और चीन जन. गण. से आयातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त, भारत में घरेलू उत्पाद के आरंभ होने के साथ भारत में कुल आयात मात्रा में कमी आई है । आयातों की कीमत के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में सभी संबद्ध देशों से आयात कीमतों ने समान प्रवृति दर्शायी है। क्षति अवधि में विभिन्न संबद्ध देशों से कीमतों की पद्धति में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है । इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों की तुलना में रूस से आयातों की पहुंच कीमत अधिक है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने ई.सी. ब्राजील से मालेबल कास्ट आयरन ट्यूब या पाइप फिटिंग पर पाटनरोधी शुल्क के मामले में नोट किया है कि यह निर्धारण करने के लिए प्रत्येक देश से मात्रा और कीमत विश्लेषण का कोई मौजूदा संदर्भ नहीं है कि क्या आयातों का संचयन किए जाने की कोई जरूरत है । अत: प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान जांच में आयातों का संचयी मूल्यांकन किया जाना उचित है ।

100. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी का विचार है कि संचित रूप से घरेलू उद्योग पर चीन जन.गण., रूस, सिंगापुर, सउदी अरब और यू.एस.ए. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभाव का मूल्यांकन करना उचित है ।

ज.3.2 <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

(क) <u>मांग/स्पष्ट खपत का मूल्यांकन</u>

101. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने भारत में संबंधित उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को सभी स्रोतों से घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों और आयातों की घरेलू बिक्रियों के जोड़ के रूप में परिभाषित किया है । इस प्रकार आकलित की गई मांग नीचे तालिका में दी गई है ।

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
आवेदक की बिक्रियां	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	510	594	816
संबद्ध आयात	मी.ट.	44,860	36,272	29,808	19,110
अन्य आयात	मी.ट.	1,531	566	621	361
खपत	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	125	122	124

102. यह देखा गया है कि वर्ष 2020-21 में मांग में वृद्धि हुई थी और फिर 2021-22 में इसमें मामूली गिरावट आई । जांच की अवधि के दौरान मांग में फिर से वृद्धि हुई है।

(ख) <u>संबद्ध देशों से आयात मात्रा</u>

103. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या पाटित आयातों में, या तो कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डी.जी. सिस्टम्स से अधिप्राप्त सौदे-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा निम्नानुसार है :-

विवरण	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
संबद्ध देश	मी. टन	44,860	36,272	29,808	19,110
सिंगापुर	मी. टन	13,546	6,094	6,830	11,291
रूस	मी. टन	25,847	18,642	14,014	3,104
सऊदी अरब	मी. टन	1,299	1,577	1,790	1,903

यू एस ए	मी. टन	4,168	9,943	6,939	1,563
चीन जन. गण.	मी. टन	0	17	234	1,249
अन्य देश	मी. टन	1,531	566	621	361
कुल आयात	मी. टन	46,391	36,838	30,428	19,470
कुल भारतीय उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात :					
कुल आयात	%	97%	98%	98%	98%
भारतीय खपत	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	65	55	34
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	22	17	8

104. यह देखा गया कि:-

क. क्षति अवधि में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में कमी आई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों में गिरावट घरेलू उद्योग द्वारा नए उत्पादन को आरंभ करने का परिणाम है । घरेलू उद्योग ने 1.20 लाख मी.टन की क्षमता के साथ सितंबर, 2019 में उत्पादन का आरंभ किया और मार्च, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन किए जाने की घोषणा की ।

ख. 2019-20 की अवधि के दौरान आयात भारत में खपत के ***% से अधिक के लिए उत्तरदायी है किन्तु जांच की अवधि में इसमें ***% की गिरावट आई । जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है कि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने के परिणामस्वरूप है । फिर भी प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस तथ्य की तुलना में आयातों का हिस्सा उच्च बना हुआ है कि इस अवधि में *** मी.टन की मांग की तुलना में पी ओ आई में घरेलू उद्योग ने *** मी. टन का उत्पादन किया है और भारत में संपूर्ण मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी ।

ग. उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा क्षति अवधि के आरंभ में ***% से अधिक थी । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन को आरंभ किए जाने के कारण, इसमें गिरावट आई है । तथापि, यह नोट किया गया है कि भारत में स्थापित क्षमताओं पर विचार करते हुए, ऐसा उत्पादन अभी भी महत्वपूर्ण है ।

घ. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा कुल आयातों के 98 प्रतिशत तक बढ़ गया ।

105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल क्षति अवधि के दौरान (सितंबर, 2019 में) ही उत्पादन प्रारंभ किया । इसलिए, यह सामान्य बात है कि आयातों ने क्षति अवधि में गिरावट देखी है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वृद्धिकारक रूप से अपनी क्षमताओं का उपयोग किया है । हालांकि, घरेलू उद्योग ने आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और ग्राहकों को माल बेचने के लिए, महत्वपूर्ण वित्तीय हानियों पर माल की बिक्री की है इसलिए, जहां घरेलू उद्योग ने मात्रा में वृद्धि प्राप्त की है, परिणामस्वरूप लाभप्रदता के संबंध में उन्हें हानि मिली है ।

106. इन अनुरोधों के संबंध में कि चीन से आने वाले आयात रूस के मूल के उत्पाद हैं, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने केवल ऐसे सौदों के बारे में विचार किया है जहां आयात सौदों में मूलता के देश को चीन के रूप में रिपोर्ट किया गया है ।

ज.3.3 <u>पाटित आयातों का कीमत प्रभाव</u>

107. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किया जाना जरूरी है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्पवूपूर्ण स्तर तक कीमतें में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती ।

(क) कीमत कटौती

108. कीमत कटौती को घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूलियों की जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना करके निर्धारित किया गया है ।

विवरण	इकाई	पीओआई

बिक्री कीमत	अम. डॉ./ मी. टन	***
पहुंच कीमत	अम. डॉ./ मी. टन	2,541
कीमत कटौती	अम. डॉ./ मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***
प्रवृति	रेंज	नकारात्मक

109. यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के लिए कीमत कटौती ऋणात्मक है । तथापि, डी. आई. के एक नए प्रवेशी के रूप में आरोप लगाता है कि घरेलू उद्योग को निम्न कीमतों पर आयातों की मात्रा के साथ निरपवाद रूप से प्रतियोगिता करनी होगी । तद्नुसार, चाहे कुछ आयात उच्च कीमतों पर किए गए हैं, यह निम्न कीमतों पर आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को नकारता नहीं है ।

110. आवेदक ने इस बात पर जोर दिया है कि समान समय पर समान क्रयकर्ता द्वारा किए गए आयातों की कीमतों के बीच महत्वपूर्णअंतर हैं । इसके अतिरक्त, संबंधित पक्षकारों में लेन देन हुए हैं जिसके कारण कीमतें प्रतिनिधिक नहीं हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में कीमत कटौती नकारात्मक है। प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की जरूरत है कि क्या आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं या उन का न्यूनीकरण कर रहे हैं । यह जरूरी नहीं है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के विपरीत कीमत प्रभाव को समाप्त करने के लिए समान समय पर कीमत कटौती और ह्रास/न्यूनीकरण, दोनों ही उपस्थित हों ।

(ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

111. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने महत्वपूर्ण मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा सामान्य स्थिति में घटित हुई होती, क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की निम्नानुसार तुलना की गई थी -

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	₹/ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	64	83	100

बिक्री कीमत	₹/ मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	103	122	153
पहुंच कीमत	₹/ मी.ट.	135,678	128,882	153,915	205,267
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	95	113	151

112. यह देखा गया है कि जहां 2020-21 और पी ओ आई के बीच बिक्रियों की लागत में *** रूपए प्रति मी.टन वृद्धि हुई है, वहीं बिक्री कीमत में केवल *** रूपए प्रति मी. टन की वृद्धि हुई है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस संबंध में आधार वर्ष के साथ तुलना करना गलत है क्योंकि यह घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की शुरूआत का प्रथम उत्पादन था ।

ज.3.4. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड</u>

113. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई हैः

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

114. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्रियां और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
स्थापित क्षमता	मी. टन	70,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	171	171	171
उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	367	381	516
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	214	222	301
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	510	594	816
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	611	357	212
आबद्ध खपत	मी. टन	-	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-	100	646	1,315
ऐसे दिनों की संख्या जब उत्पादन बंद था	दिन	***	***	***	***

115. यह देखा गया है कि -

क. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, इस अवधि में उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू उद्योग की बिक्रियों में सुधार हुआ है ।

ख. जहां घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है, यह देखा गया है कि यह उल्लेखनीय रूप से उत्पादन से कम थी । घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानि उठाकर अपने उत्पादन के महत्वपूर्ण भाग को निर्यात करने पर विवश होना पड़ा है ।

विवरण	इकाई	पी ओ आई
बिक्रियों की लागत (निर्यात)	₹/ मी.ट.	***
बिक्री कीमत (निर्यात)	₹/ मी.ट.	***
लाभ/(हानि)	₹/ मी.ट.	(***)

ग. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि यदि केवल घरेलू बिक्रियों के लिए उपयोग की गई क्षमता पर विचार किया जाता है तो घरेलू उद्योग ने घरेलू बिक्रियों के प्रति अपनी क्षमताओं के केवल ***% का ही उपयोग किया है । इसलिए, घरेलू उद्योग केवल निर्यात बिक्रियों को प्रभावित कर और आबद्ध खपत के परिणाम स्वरूप ही अपने क्षमता उपयोग में सुधार करने में सक्षम है ।

घ. यह ***% के क्षमता उपयोग के विपरीत है, जिसे घरेलू उद्योग प्राप्त कर सकता था यदि इसने देश में मांग के लिए आपूर्ति की होती साथ ही वर्तमान निर्यात बिक्रियां भी की होतीं ।

ड. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान *** दिनों के लिए और जांच की अवधि के दौरान *** दिनों के लिए उत्पादन बंद करना पड़ा था । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह शट डाउन उत्पाद के पाटन तथा लगातार हानियों के कारण था । ऊपर दी गई तालिका क्षति अवधि में शट डाउन की अवधि को दर्शाती है । घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि जहां अवधि के आरंभ में शट डाउन नई उत्पादन सुविधाओं के कारण हो सकता है, यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण अवधि के गुजर जाने के बावजूद यह जांच की अवधि तक जारी रहा ।

116. यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षमता उपयोग को घरेलू उद्योग के व्यापारिक और आबद्ध उत्पादन, दोनों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है । अत: क्षमता और क्षमता उपयोग, दोनों घरेलू उद्योग द्वारा कुल उत्पादन के लिए हैं । यह भी नोट किया गया है कि कल्पना से परे (ऑफ-स्पेक) उत्पादन की मात्रा केवल उत्पादन आरंभ किए जाने की प्रारंभिक अवधि में थी और जांच की अवधि के दौरान काफी कम थी ।

117. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने पीओआई के पश्चात की अवधि में पूरी क्षमता पर प्रचालन किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को महत्पूर्ण क्षति की जांच की है और घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री की है । इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों प्राधिकारी को वर्तमान जांच में पी ओ आई के पश्चात की अवधि पर विचार करना चाहिए ।

118. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है घरेलू उद्योग को कोविड-19 के कारण क्षति हुई है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि 2022-23 है और इस अवधि के दौरान कोविड-19 के विपरीत प्रभाव के कोई प्रमाण नहीं है ।

(ख) बाजार हिस्सा

119. घरेलू उद्योग और आयातों के बाजर हिस्से को नीचे तालिका में दर्शाया गया था :-

बाजार हिस्सा	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	POI
घरेलू उद्योग	%- सूचीबद्ध	100	391	473	636
संबद्ध आयात	%- सूचीबद्ध	100	65	55	35
अन्य आयात	%- सूचीबद्ध	100	33	33	33

120. यह नोट किया गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, इसके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । तथापि, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयातों का बाजार के लगभग ***% के लिए उत्तरदायी होना जारी है । इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के बड़े भाग का प्रयोग करने में सक्षम होता तो यह आबद्ध खपत और निर्यात बिक्रियों के लिए उत्तरदायी होने के बाद भी संपूर्ण मांग को पूरा कर सकता था । इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्से का केवल ***% प्राप्त किया है । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि यह केवल उठाई गई हानियों की कीमत पर ही अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम हुआ है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि पी ओ आई के अंत तक व्यापार के आरंभ किए जाने के बाद से इसकी संचयी वित्तीय हानियां *** करोड़ रूपए थीं ।

(ग) मालसूची

121. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है :-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतशेष मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***

औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	184	124	82

122. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में कमी आई है । यह देखा गया है कि यह इस कारण है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू उद्योग ने कहा है कि पाटन के द्वारा सृजित बाजार स्थिति के कारण, इसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान *** दिनों के लिए और जांच की अवधि के दौरान *** दिनों के लिए उत्पादन बंद करने के लिए विवश होना पड़ा था ।

(घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

123. क्षति अवधि में लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पी ओ आई
लाभ/ (हानि)	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-349
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	-114	-236	-263
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	-100	-25	-92	-125

124. यह देखा गया है कि-

(क) घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान महत्पपूर्ण हानियां वहन की हैं । जहां आधार वर्ष के दौरान हानियों के कारण निम्न क्षमता उपयोग, नई उत्पादन क्षमताओं और बिक्रियों की कम मात्रा हो सकती है, उच्च क्षमता उपयोग के बावजूद जांच की अवधि के दौरान हानियों में वृद्धि हुई है ।

(ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन में 416%, घरेलू बिक्रियों में 716% की वृद्धि हुई है । इसके बावजूद क्षति अवधि में नकद हानियों में 249% की वृद्धि हुई है जबकि नकद घाटे में 163% की वृद्धि तथा नियोजित पूंजी पर आय में 25% अधिक ह्रास हुआ है । अत:

घरेलू उद्योग की मात्रा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है लेकिन कीमत मापदंडों के संबंध में उल्लेखनीय रूप से और भी अधिक गिरावट आई है ।

(ग) घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि में महत्पूर्ण नकद हानियों और ऋणात्मक ई बी आई डी टी ए का सामना किया है । इसके अलावा, उत्पादन और घरेलू बिक्रियों में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, क्षति अवधि में नकद हानियों और ब्याज-पूर्व हानि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है ।

(घ) कुल रूप में, जांच की अवधि के दौरान हानियां और नकद हानियां उच्चतम रही हैं ।

(ड.) लगातार 43 महीनों तक प्रचालन में रहने के बावजूद घरेलू उद्योग घाटे में चलने में सक्षम नहीं है ।

(च) पूरी क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक बनी रही है और क्षति अवधि में इसमें ह्रास हुआ है ।

125. तथापि, जहां घरेलू उद्योग ने अपनी समग्र बिक्री कीमत के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2019-20 के दौरान बिक्रियों का ***% ऑफ स्पेसिफिकेशन उत्पादों (गैर-विशिष्ट उत्पाद) की बिक्री का था, जबकि वह तद्नुरूपी अवधियों में निम्न था । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि प्राधिकारी को केवल मुख्य ग्रेड को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की कीमतों की जांच करनी चाहिए । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान मामले में मुख्य उत्पाद की कीमतों पर विचार करना उचित है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा अन्य कारकों के क्षतिकारक प्रभावों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए । आधार वर्ष में, विशिष्ट उत्पादों की बिक्री के कारण बिक्री कीमत में ह्रास होगा, जिसके कारण और अधिक नुकसान होगा। इसके प्रभावको अलग किया जाना चाहिए ।

126. घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में *** करोड़ रूपए की संचित हानियां उपगत की हैं । इसका अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के आरंभ होने के बाद से, हानियों के रूप में, पहले ही नियोजित पूंजी के लगभग ***% के समकक्ष राशि को गंवा चुका है । घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इसकी परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इसके विपरीत स्थिति होने पर, इसने इस अवधि के लिए अपने प्रचालनों की अवधि में, *** करोड़ रूपए अर्जित किए होते ।

127. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि नियोजित पूंजी पर ***% की आय अर्जित करने के लिए, घरेलू उद्योग को प्रति मी. टन *** रूपए की एक पीबीआईटी अर्जित करनी थी । इसके विपरीत, इसने प्रति मी.टन *** रूपए की हानि उपगत की है । यह *** प्रति मी. टन की बिक्री मात्रा पर *** रूपए प्रति मी. टन के राजस्व की हानि को दर्शाता है ।

128. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मुख्य उत्पाद की बिक्री कीमत पर विचार करने के बाद भी, घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानियों का सामना किया है । घरेलू बिक्रियों पर होने वाली हानियों में लगातार वृद्धि की प्रवृति दिख रही है ।

129. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिकाकर्ता के पी एंड एल विवरण में ब्याज लागत नहीं बताई गई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके बारे में 2022-23 के वित्तीय विवरणों में बताया गया है । चूंकि पिछले वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा नहीं की गई थी, ब्याज लागत को बही खातों के प्रयोजन के लिए पूंजीकृत किया गया था । हालांकि, याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी द्वारा जारी फार्मेटों के अनुसार इस बारे में रिपोर्ट की है ।

130. इस निवेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हानियां स्टार्टअप लागतों और मूल्य ह्रास के कारण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी स्र्टाटअप लागतों को भारत के जी ए ए पी के तहत पूजीकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग 43 महीनों से प्रचालन कर रहा है । 2019-20 प्रचालन का प्रथम वर्ष था और इसलिए, स्टार्ट अप लागतों पर असर पड़ने का कोई प्रमाण नहीं है । तथापि, वर्ष 2020-21 और 2021-22 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की प्रति इकाई हानि में वृद्धि हुई है ।

131. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने प्रचालनों के प्रथम पूरे वर्ष में लाभ और प्रचालनों के तीसरे वर्ष तक महत्वपूर्ण लाभ प्रक्षेपित किए थे । इसलिए, पी ओ आई में हानियों को स्टार्ट-अप लागतों का कारण नहीं माना जा सकता ।

विवरण	**यू ओ एम**	**आई आई आर**		
		पीओआई - वास्तविक	**प्रक्षेपित वर्ष -3**	**प्रक्षेपित वर्ष 4**

स्थापित क्षमता *	मी. टन	120,000	120,000	120,000
कुल उत्पादन मात्रा	मी. टन	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***
बिक्री मात्रा	मी. टन	***	***	***
घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
निर्यात बिक्रियां	मी. टन	***	***	***
आबद्ध स्थानांतरण	मी. टन	***	***	***
बिक्रियों की लागत (कारखानागत)	₹/ मी. टन	***	***	***
निवल बिक्री प्राप्तियां	₹/ मी. टन	***	***	***
पीबीआईटी (कर पूर्व लाभ)	₹/ मी. टन	(***)	***	***
पीबीआईटी (कर पूर्व लाभ)	लाख रूपए	(***)	***	***
मूल्य ह्रास	₹/ मी. टन	***	***	***
नकद लाभ (पीबीटी+ मूल्य ह्रास)	₹/ मी. टन	(***)	***	***
ब्याज लागत	₹/ मी. टन	***	***	***
पी बी आई टी	लाख रूपए	(***)	***	***
पी बी आई टी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ)	₹/ मी. टन	(***)	***	***
पी बी आई टी (मूल्यह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ)	लाख रूपए	(***)	***	***
नियोजित औसत पूंजी	लाख रूपए	***	***	***
निवल अचल परिसंपत्तियां	लाख रूपए	***	***	***
कार्यशील पूंजी	लाख रूपए	***	***	***
पीबीआईओ नियोजित औसत पूंजी के % के रूप में (आर ओ आई)	लाख रूपए	(***)	***	***

132. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि याचिकाकर्ता ने 2019-20 में लाभ अर्जित किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को 2019-20 में आर्थिक नुकसान हुआ है ।

133. इस दावे के संबंध में कि आवेदक ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण नहीं किया है, और इसलिए हानियों को विनिर्माण प्रचालनों पर आरोपित नहीं किया जा सकता, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इन दो वर्षों में संबद्ध वस्तुओं की महत्वपूर्ण मात्राओं का उत्पादन और बिक्री की है । इसके अलावा,

बिक्री मात्रा में वृद्धि के बावजूद 2022-23 में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानियों में वृद्धि हुई है । यह देखा गया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि में अधिक उत्पादन और बिक्री की है, इसे लगातार अधिक वित्तीय हानियां उठानी पड़ी ।

ड. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरियां

134. प्राधिकारी ने निम्नानुसार रोजगार, मजदूरियों और उतपादकता से संबंधित सूचना की जांच की है :

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	94	77	87
वेतन और मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	341	272	250
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/ दिन	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	214	222	301
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	228	287	346

135. यह नोट किया गया है कि 2021-22 तक कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई । इसके विपरीत, 2020-21 में वेतन में वृद्धि हुई, तब इसमें गिरावट आई । घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी सुधार हुआ है । घरेलू उद्योग ने इस कारण क्षति का दावा नहीं किया है ।

(च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	पीओआई
उत्पादन	%	267%	4%	35%
घरेलू बिक्रियां	%	410%	17%	37%
लाभ/(हानियां)	%	-14%	-107%	-48%

नकद लाभ	%	-14%	-107%	-11%
नियोजित पूंजी पर लाभ	%	75%	-264%	-36%

136. यह देखा गया है कि क्योंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, इसके मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार हुआ है । हालांकि, पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में गिरावट आई है । मात्रा संबंधी मानदंडों में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, कीमत संबंधी मानदंडों में वृद्धि बहुत प्रतिकूल है ।

(छ) पूंजी निवेशों को जुटाने की क्षमता पर प्रभाव

137. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के लिए क्षमता स्थापित की है और इस प्रकार, यह पूंजी निवेश जुटाने के लिए सक्षम था । तथापि, इस अवधि में घरेलू उद्योग ने भारी हानियां उपगत की हैं और यह ऋणात्मक आय का सामना कर रहा है । ई बी आई डी टी ए ऋणात्मक है और क्षति अवधि में इसमें ह्रास हुआ है । इसलिए घरेलू उद्योग ने अपनी वर्तमान ऋण बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से अर्जन नहीं किया है । इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने देखा कि आया है कि आयातों ने पूंजी निवेशों को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है ।

(ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

138. यह नोट किया गया है कि चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की लागत की तुलना में निम्न है, इसने घरेलू उद्योग पर एक दबाव डाला है । इसके अतिरिक्त, के एनआईपी से कम है । इसने घरेलू उद्योग को उनकी कीमत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश किया है जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का कम उपयोग और वित्तीय हानियां हुई । घरेलू उद्योग भारत में अपनी लक्षित कीमतों को प्राप्त करने में असफल रहा है । आयातों ने कीमत में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा घटित हुई होती और घरेलू उद्योग ने भारी हानियां उठाई हैं ।

139. संबद्ध देशों से आयात कीमतों का विचार, लागत ढांचे में परिवर्तन, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के महत्वपूर्ण समानुपात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम होने के कारण भारतीय बाजार

में महत्वपूर्ण कीमत ह्रास हुआ है । इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है । संबद्ध वस्तुओं की मांग ने वृद्धि दर्शायी है और यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने के लिए कारक नहीं हो सकता । देश में संबद्ध वस्तुओं की उल्लेखनीय मांग को और उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा को देखते हुए, जो घरेलू उद्योग द्वारा अवश्य बेची जानी है, घरेलू उद्योग के पास एकमात्र विकल्प इसकी घाटे वाली कीमतों पर बिक्री करना है । उपभोक्ता आयातित उत्पाद कीमतों के आधार पर घरेलू उद्योग के साथ कीमतों का मोलभाव कर रहे हैं । अत: घरेलू उद्योग कीमतों के लिए उत्तरदायी प्रधान कारक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमतें हैं ।

(झ) पाटन की मात्रा

140. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का उल्लेखनीय पाटन हुआ है जिसने बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को समाप्त कर दिया है ।

ज.3.5. <u>क्षति का समग्र मूल्यांकन</u>

141. संबद्ध उत्पाद के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग का निष्पादन स्पष्ट दर्शाते हैं कि:

i. घरेलू उद्योग ने सितंबर, 2019 से उत्पादन आरंभ किया । घरेलू उद्योग के पास क्षमताएं देश में उत्पादन की मांग से अधिक है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन आरंभ करने के साथ ही आयातों की मात्रा में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति में वृद्धि हुई है । परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के मात्रा मात्रा मापदंड में वृद्धि हुई है ।

ii. पीओआई में घरेलू उद्योग की भारांशित औसत क्षमता उपयोग केवल ***% थी, अत: परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमताओं का उल्लेखनीय कम उपयोग हुआ है ।

iii. घरेलू उद्योग ने बाजार में पाटित आयातों की उल्लेखनीय उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन के निपटान के लिए अपनी माल सूचियों के महत्वपूर्ण हिस्से का हानियों पर निर्यात किया है ।

iv. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया है ।

v. लगातार और वृद्धिकारी हानियों, नकद हानियों और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय के साथ इस अवधि में घरेलू उद्योग के लाभों में ह्रास हुआ है । पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानियों का सामना किया है।

vi पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ऋणात्मक ई बी आई डी टी ए का सामना कर रहा है ।

vii. उत्पादन के 43 महीनों के बावजूद घरेलू उद्योग घाटे से उबरने में सक्षम नहीं है।

viii. जहां घरेलू उद्योग के मात्रा मापदंडों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है, कीमत और मापदंडों में उल्लेखनीय रूप से ह्रास हुआ है ।

ix. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेशों को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है ।

x. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है ।

xi. आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं ।

142. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से निष्कर्ष देते हैं कि घरेलू उद्योग ने महत्वपूर्ण क्षति झेली है ।

ज. 3.6.गैर-आरोपणन विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

143. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत प्रभाव, पाटित मात्रा की विद्यमानता की जांच करते हुए, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटित आयातों के अलावा, किसी घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है, जैसा कि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है ।

(क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य

144. यह नोट किया जाता है कि किसी अन्य देश से नगण्य आयात किए गए हैं । संबद्ध देशों से आयात भारत को कुल आयातों का 97 प्रतिशत हैं । इसलिए, क्षति तीसरे देशों से आयातों के कारण नहीं है ।

(ख) मांग में संकुचन

145. विचाराधीन उत्पाद की मांग में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम थी । संबद्ध वस्तुओं की मांग में लगातार वृद्धि होने की संभावना है । घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संभावित संकुचन के कारण नहीं है ।

(ग) खपत की पद्धति

146. यह नोट किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो घरेलू उद्योग की क्षति का कारण बन सकता हो।

(घ) प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों की स्थितियां

147. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा की स्थितियों या व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियों का कोई साक्ष्य नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए उत्तरदायी हो।

(ड.) प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

148. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए नया संयंत्र स्थापित किया है ।

च. उत्पादकता

149. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इसलिए, घरेलू उद्योग इस कारण से क्षति का सामना नहीं कर रहा है ।

(छ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

150. यहां ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल इसके घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है । अतः, उठाई गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती ।

(ज) अन्य उत्पादों का निष्पादन

151. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता ।

ज. 3.7 <u>कारणात्मक संबंध पर निष्कर्ष</u>

152. जहां नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों द्वारा की गई है:-

i. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन हुआ है ।

ii. चूंकि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया था, क्षमता उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है । हालांकि, पाटन ने उत्पादन क्षमताओं के अधिकतम उपयोग को रोका है ।

iii. चाहे आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, नए उत्पाद के परिणामस्वरूप, मात्रा काफी महत्वपूर्ण है और इसने घरेलू उद्योग को इसके उत्पादन और स्थापित क्षमताओं की सीमाओं तक बिक्री करने से रोका है ।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा निर्यात बाजार को आपूर्ति करने के बाद, भारतीय मांग को पूरा करने और इसकी आबद्ध खपत के लिए माल उपलब्ध कराने के बाद भी आयातों का बाजार हिस्सा महत्वपूर्ण बना हुआ है ।

v. घरेलू बिक्रियों के लिए उपयोग की गई क्षमता जांच की अवधि के दौरान केवल ***% है । घरेलू उद्योग केवल आबद्ध खपत और निर्यात बिक्रियों के कारण ही अपनी क्षमताओं के अधिकतम हिस्से का उपयोग करने में सक्षम है।

vi घरेलू उद्योग अपनी माल सूचियों का निपटान करने के लिए हानियों पर निर्यात करने के लिए विवश था ।

vii. आयातों ने कीमतों में वृद्धि को रोका है जो अन्यथा घटित हुई होती ।

viii. घरेलू उद्योग ने पूरी क्षति अवधि के दौरान भारी हानियां वहन की हैं और जांच की अवधि के दौरान इनमें वृद्धि हुई है ।

ix. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय और नकदी प्रवाह में अवधि के दौरान ह्रास हुआ है और ये ऋणात्मक हैं ।

x. घरेलू उद्योग के मात्रामापदंडों ने जहां सकारात्मक वृद्धि दर्शायी है, लाभप्रदता संबंधी मापदंडों में ह्रास हुआ है ।

xi. आयातों ने और अधिक पूंजी निवेशों को जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित किया है ।

153. अत: प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्षदेते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान है ।

झ. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

झ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

154. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किए हैं :-

i. घरेलू उद्योग, जो कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की एकमात्र उत्पादक है, ने अपनी लक्षित कीमतों के लिए बहुत ऊंचा स्तर निर्धारित किया है ।

ii. किसी पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से प्रयोक्ताओं और उनके ग्राहकों के लिए लागत में वृद्धि होगी ।

iii. शुल्कों को लगाए जाने के मामले में, या तो प्रयोक्ता आयातों पर अदा किए गए शुल्क को अवशोषित करेगा या वो इसे बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा इसे अपने अंतिम ग्राहक तक पहुंचाएंगे । पहली स्थिति में शुल्कों को लगाने से लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट आएगी और अन्तत: परिणाम प्रयोक्ता उद्योग को हानि में होगा और दूसरी स्थिति में शुल्क के कारण विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग करते हुए विनिर्मित की गई तैयार वस्तुओं के बिक्री मूल्य/बिक्री कीमत में भारी वृद्धि होगी ।

iv. विचाराधीन उत्पाद की लागत में कोई भी वृद्धि डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है जो प्रयोक्ताओं को गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बना सकती है या उन्हें प्रचालन संबंधी हानियों में धकेल सकती है ।

v. शुल्क को लागू किया जाना घरेलू उद्योग द्वारा एकाधिकार व्यवहार के लिए द्वार खोल सकते हैं ।

vi शुल्क को लागू किया जाना संबद्ध देशों से आपूर्ति को सीमित कर देगा और एक अत्यधिक मांग-आपूर्ति अंतर का सृजन करेगा जिसे घरेलू उद्योग संभवत: पूरा करने में सक्षम नहीं होगा ।

vii. घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने की अपनी क्षमता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है ।

viii. जांच को आगे बढ़ाना और उपायों को लागू करना अंतिम प्रयोक्ताओं के सार्वजनिक हित के विरूद्ध होगा ।

झ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध</u>

155. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. संबद्ध वस्तुओं के लिए देश में कोई मांग आपूर्ति अंतर नहीं है।

ii. घरेलू उद्योग संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है और यदि मांग में वृद्धि होती है तो, इसके पास अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना मौजूद है।

iii. विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन सुविधाएं अत्यधिक पूंजी गहन हैं। घरेलू उद्योग ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगभग *** करोड़ रुपए निवेश किए हैं जिसमें से आईआईआर लगभग *** करोड़ रुपए के लिए उत्तरदायी है।

iv. यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो घरेलू उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा और भारत एक बार फिर से पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाएगा।

v. घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है।

vi देश में विचाराधीन उत्पाद का कोई घरेलू उत्पादन नहीं था। हालांकि यह टायर उद्योग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है।

vii. अंतिम रूप से तैयार उत्पाद पर प्रस्तावित उपायों का प्रभाव बहुत न्यूनतम होगा।

viii. अत: डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत में उत्पाद का हिस्सा कठिनता से 1.3 - 1.6 प्रतिशत है।

ix. खुदरा बाजार में टायरों की कीमत आईआईआर की कीमतों के अनुसार भिन्न नहीं होते हैं ।

x. प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ टायर उद्योग के लिए कच्चे माल की अधिकतम लागत को स्थापित करता है और अन्य कच्चे माल की कीमतों का टायर उद्योग के प्रचालनों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

xi. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अत्यधिक विनियमित और सीमित है और देश में उत्पादन के लिए उत्पादन के लिए इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं।

ञ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

156. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग पर थोपी गई क्षति का उपचार करना है जिसके द्वारा भारतीय बाजार में एक खुली और न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा के वातावरण को बढ़ावा देना है। यह केवल एक विनियामक उपाय नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना संबद्ध देशों से मनमाने ढंग से आयातों में कमी करना नहीं है बल्कि यह समान स्तर पर व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का जारी रहना भारत में उत्पाद के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का सारांश इन उपायों को लागू करने से अप्रभावित बना रहेगा। ह्रासमान प्रतिस्पर्धा से दूर, पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना पाटन पद्धतियों के जरिए अुनचित लाभ को प्रोद्भूत होने से रोकेगा। यह संबद्ध वस्तुओं के विस्तृत चयन के लिए ग्राहकों की पहुंच का रक्षोपाय करता है। अत:, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों में बाधा नहीं बल्कि सुविधा प्रदान करने वाले हैं।

157. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की है। घरेलू उद्योग, उत्पादकों / निर्यातकों और आयातकों / प्रयोक्ताओं / उपभोक्ताओं सहित विभिन्न स्टेकधारकों को उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित, संभावित जांच के संबंध में प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुमति देने हेतु एक आर्थिक ब्याज प्रश्नावली भी निर्धारित की गई।

158. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और संबद्ध वस्तु के केवल दो आयातकों / उपभोक्ताओं अर्थात् एक्सेल रबर प्रा. लिमिटेड और क्लासिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा आर्थिक ब्याज प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए गए। संबद्ध वस्तुओं के किसी अन्य उपभोक्ता ने न तो प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है और न ही आर्थिक ब्याज प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

159. प्राधिकारी नोट करते हैं कि टायरों का विनिर्माण करने के लिए संबद्ध वस्तुएं एक अनिवार्य कच्चा माल है। हालांकि, टायर उद्योग ने उनके प्रचालनों पर प्रस्तावित एडीडी के प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। वर्तमान जांच में निवेदन प्रस्तुत करने वाली ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बावजूद, शुल्कों के प्रभाव के संबंध में टायर उद्योग द्वारा सहयोग और भागीदारी की अनुपस्थिति प्राधिकारी की स्थिति को रेखांकित करती है और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता की पुष्टि करती है।

160. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा संयंत्र की स्थापना से पूर्व, भारत पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर था। घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में भारी निवेश किया है। घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि संबद्ध देशों से पाटन जारी रहा तो घरेलू उद्योग उद्योग के पास अपने प्रचालनों को स्थायी रूप से बंद करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होगा।

161. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं टायर का एक अभिन्न भाग हैं। ऐसे परिदृश्य में, यह महत्वपूर्ण है कि देश में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता हो। इसके

अतिरिक्त, जैसाकि घरेलू उद्योग द्वारा जोर डाला गया है, किसी टायर में मुख्य लागत संघटक प्राकृतिक रबड़ है और सामग्रियां जैसे आईआईआर, हालांकि अभिन्न सामग्री है, किन्तु टायर में एक छोटे संघटक को स्थापित करता है। अतः, वे टायर उद्योग के लिए एक प्रमुख लागत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यदि प्रभाव को और अधिक डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर निर्धारित किया जाए तो, प्रभाव निश्चय ही न्यूनतम होगा।

162. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करते, किंतु सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, शुल्क को लागू किया जाना उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश में पर्याप्त आपूर्ति विद्यमान है।

163. हालांकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं कि वे भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

164. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हालांकि, संबद्ध आयात देश में आने वाले कुल आयातों का 97 प्रतिशत स्थापित करते हैं, उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी वैश्विक रूप से बहुत से देशों में उपलब्ध है। अतः, माल को अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और जापान। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में विचाराधीन उत्पाद का अन्य स्रोतों से भी आयात किया गया है।

165. प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा *** करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसने एक संयंत्र स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों से प्रौद्योगिकी प्राप्त की है। तथापि, 43 महीनों की अवधि के भीतर, घरेलू उद्योग ने *** करोड़ रुपए की हानियां उपगत की हैं। इस प्रकार,

भारतीय उद्योग को भारी घाटा हो रहा है जिससे निवेश की व्यवहार्यता के लिए संकट पैदा हो गया है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

166. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारक कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने हेतु विचार किया गया है। गैर- क्षतिकारक कीमत का निर्धारण करने के लिए क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है । उपयोगिता के साथ भी समान उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को प्रभारित नहीं किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर पहुंचने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व @ 22 प्रतिशत) को अनुमति दी गई थी जैसाकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित किया गया है और अनुसरण किया जा रहा है।

167. गैर-क्षतिकारक कीमत के निर्धारण के संबंध में, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारक कीमत को नियमावली के अनुबंध III और प्राधिकारी द्वारा स्थापित पद्धति के अनुसार निर्धारित किया गया है।

168. सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

169. उपरोक्त के अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारक कीमत के आधार पर, उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है।

<u>क्षति मार्जिन</u>

उत्पादक	एनआईपी (यूएसडी/मी.टन)	पहुंच कीमत (यूएसडी/मी.टन)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/मी.टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
सऊदी अरब					
अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी ("केम्या")	***	***	***	***	15-25%
कोई अन्य	***	***	***	***	20-30%
सिंगापुर					
एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड/ एक्सॉनमोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक	***	***	***	***	40-50%
कोई अन्य	***	***	***	***	45-55%
संयुक्त राज्य अमेरिका					
एक्सॉनमोबिल प्रोडक्ट सल्यूशंस कंपनी	***	***	***	***	25-35%
कोई अन्य	***	***	***	***	30-40%
रूस					
पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकमस्कनेफ़्तेखिम	***	***	***	***	50-60%
कोई अन्य	***	***	***	***	60-70%
चीन					
कोई भी	***	***	***	***	25-35%

ट. <u>निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

170. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच के पश्चात् तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष देते हैं कि:-

i. चीन जन. गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की शुरूआत के लिए आवेदन रिलायंस सिबुर इलास्टोमर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग ठहरता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) है, जोकि एक सिंथेटिक रबड़ है, जो सामान्यत: टायरों के लिए आंतिरक ट्यूब्स और अन्य उच्च दबाव वाली ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। च्युइंगम के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली क्रूड - ग्रेड आईआईआर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

iii. प्राधिकारी ने एक पीसीएन पद्धति को अपनाया है और इसी को अधिसूचित किया है।

iv. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और भारत में अदायगी योग्य कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है जो घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर आधारित है।

v. सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, ऐसी सूचना के सत्यापन के अध्यधीन, के आधार पर निर्धारित किया गया है।

vi निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण है और न्यूनतम सीमा से अधिक है।

vii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2021-22 में गिरावट आई थी और दुबारा इसमें वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान यह उच्चतम स्तर पर थी।

viii. नई उत्पादन सुविधाओं में उत्पादन आरंभ होने के साथ घरेलू उद्योग द्वारा की गई आपूर्तियों की प्रतिक्रिया में आयातों में गिरावट आई है।

ix. संबद्ध देशों से आयात देश में कुल आयातों का 97 प्रतिशत स्थापित करते हैं।

x. वर्तमान जांच में कीमत कटौती ऋणात्मक है। तथापि, घरेलू उद्योग बाजार में कीमत ह्रास का सामना कर रहा है, क्योंकि घरेलू उद्योग उत्पादन की लागत में वृद्धि के समानुपात में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं है।

xi. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं:-

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को *** दिनों के लिए, पाटन के कारण अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए विवश होना पड़ा था।

ख. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कम उपयोग की गई क्षमताओं का सामना किया है।

ग. चूंकि, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन आरंभ किया है, क्षति अवधि में इसके बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। तथापि, आबद्ध खपत और निर्यात बिक्रियों को शामिल न करने के बाद, यह घरेलू उद्योग की क्षमताओं के अनुरूप नहीं है।

घ. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की औसत मालसूचियों में कमी आई है।

ड. मालसूची के संचय को रोकने के लिए घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं को निर्यात करने के लिए दबाव था।

च. घरेलू उद्योग ने हानियों, नकद हानियों और ऋणात्मक आय का सामना किया है।

छ. घरेलू उद्योग का ईबीआईडीटीए ऋणात्मक है।

ज. घरेलू उद्योग के मात्रा पैरामीटर्स में सुधार हुआ है किंतु लाभप्रदता संबंधी पैरामीटरों में गिरावट आई है।

झ. आयातों ने घरेलू उद्योग की और अधिक निवेश जुटाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाला है।

xii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से पाटित वस्तुओं के परिणामस्वरूप क्षति का सामना किया है।

xiii. क्षति मार्जिन महत्वपूर्ण है।

xiv. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला कोई अन्य कारक मौजूद नहीं है। यह नोट किया गया है कि पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने भारी क्षति का सामना किया है।

xv. पाटनरोधी शुल्क जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से प्रमाणित होता है:-

क. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संयंत्र में महत्वपूर्ण निवेश किए हैं।

ख. संबद्ध वस्तुएं डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए प्रमुख लागत नहीं है।

ग. संबद्ध वस्तुओं का प्रमुख अनुप्रयोग टायर उद्योग में हैं। तथापि, टायर उद्योग ने शुल्कों के महत्वपूर्ण विपरीत प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।

घ. इसलिए, शुल्कों को लागू किया जाना उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की क्षमता है।

ड. सामान को अन्य स्रोतों से भी आयात किया जा सकता है।

171. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जब जांच की शुरूआत की गई थी और तब सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंधों पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध में जांच आरंभ करने तथा आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का मत है कि जांच के पूरा

होने तक, पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए अनंतिम शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए, प्राधिकारी इसे जरूरी समझते हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं।

172. प्राधिकारी द्वारा अनुसारित किए गए कमतर शुल्क के संबंध में, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे प्रस्तुत की गई तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	**शीर्ष**	**विवरण**	**मूलता का देश**	**निर्यात का देश**	**उत्पादक**	**राशि**	**इकाई**	**मुद्रा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
1	40023100	आइसोब्यूटिलीन-आइसोप्रीन रबड	चीन	चीन सहित कोई देश	कोई भी	319	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
2	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन	कोई भी	319	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
3	-वही-	-वही-	रूस	रूस	पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी निज़नेकम स्कनेफ़्तेखिम	519	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

4	-वही-	-वही-	रूस	रूस सहित कोई भी देश	(3) के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	571	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
5	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	रूस	कोई भी	571	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
6	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब	अल-जुबैल पेट्रोकेमिकल कंपनी	588	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
7	-वही-	-वही-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	(6) के अतिरिक्त कोई भी देश	647	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
8	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी	647	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
9	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर	एक्सॉनमोबिल एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड	431	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
10	-वही-	-वही-	सिंगापुर	सिंगापुर सहित कोई भी देश	(9) के अतिरिक्त कोई भी देश	474	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
11	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब,	सिंगापुर	कोई भी	474	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

			सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश					
12	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका	एक्सॉनमोप्रोडक्ट साल्यूशंस कंपनी	663	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
13	-वही-	-वही-	संयुक्त राज्य अमेरिका	संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कोई भी देश	(12) के अतिरिक्त कोई भी देश	729	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
14	-वही-	-वही-	चीन, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी देश	संयुक्त राज्य अमेरिका	कोई भी	729	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

ठ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

173. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद, नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का बाद में पालन किया जाएगा:-

i. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन निष्कर्षों के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर इन अनंतिम निष्कर्षों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी जाने वाली सीमा तक इन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।

ii. प्राधिकारी संबद्ध जांच के संगत अपने मतों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान करने के लिए नियम 6(6) के संदर्भ में एक मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।

iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर वेबसाइट (dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

iv. प्राधिकारी अनिवार्य समझी जाने वाली सीमा तक आगे का सत्यापन करेंगे।

v. प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों को प्रस्तुत करने से पहले पाटनरोधी नियमों के अनुसार अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी